स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

प्रति, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक), इसकी सहायक संस्थाओं, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट), के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च 2021 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखापरीक्षा की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) आईडीबीआई बैंक लि. के लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 03 मई 2021 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे.
- ii) अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा 05 देशी सहायक संस्थाओं और 01 संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित लेखे.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 तथा साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2021 को समूह के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर विनिर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्ष के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकतों एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

महत्वपूर्ण विषय

हम टिप्पणी 18(14) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें सार्स-सीओवी-2 वायरस (कोविद-19) के प्रकोप के कारण कारोबारी अनिश्चितताओं का उल्लेख किया गया है. इन अनिश्चितताओं को देखते हुए समूह के परिणामों पर प्रभाव मुख्यतः भावी परिवर्तनों पर निर्भर करेगा.

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी

To, The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited (the Bank) its subsidiaries, associates and joint venture (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") comprising of the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

- Audited accounts of IDBI Bank Limited, audited by us, vide our audit report dated May 03, 2021.
- ii) Audited accounts of 05 domestic subsidiaries and 01 joint venture audited by other auditors.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards ("AS") prescribed under Section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the state of affairs of the Group, its associates and jointly controlled entity as at March 31, 2021 and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 18 (14) which describes the business uncertainties due to the outbreak of SARS-CoV-2 virus (COVID-19). In view of these uncertainties, the impact on the Group's Consolidated Financial Statements is significantly dependent on future developments.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters कॉरपोरेट विहंगावलोकन Corporate Overview

राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नींचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है-

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता अ	गौर मापन
बैंक ने यथा 31 मार्च 2021 को ₹ 14,440.91 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 1,308.68 करोड़ का निवल विपर्यय शामिल है. आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण और मापन, वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा भविष्य में लाभों की उपलब्धता और दृश्यता के संबंध में विविध निर्णयों और अनुमानों और साथ ही कोविद -19 महामारी के संभावित प्रभाव पर निर्भर है. आस्थगित कर आस्ति की अभिनिर्धारित राशि में विस्तारित अवधि में लाभ की उपलब्धता की संभावना पूर्वानुमानित की गई है, जिससे अनिश्चितता और उक्त आस्ति में निहित अनुपयुक्त निर्धारण का जोखिम बढ़ा है.	 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमने अपनी नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: एएस 22 'आय पर कर के लेखांकन' के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; कोविद-19 के संभावित प्रभाव सहित प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक, निदेशक मंडला द्वारा समेकित वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.

अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण

•

कृपया समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध (एनपीए) में परिवर्तन के संबंध में में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं समेकित वित्तीय विवरणों की आस्ति गणवत्ता विषयक टिप्पणी सं. 18(16) ऍवं 18(15) तथा गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के संबंध में प्रावधानों और प्रकटनों साथ ही कोविद-19 महामारी के संभावित प्रभाव के कारण किए गए प्रावधानों के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 18(14) का संदर्भ लें.

प्रावधानीकरण की रूपरेखा. आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं:

> हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण. आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण

described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response			
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset				
The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 14,440.91 Crores as on March 31, 2021, including net reversal of ₹ 1,308.68 Crores during the year. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future and also considering probable impact of Covid-19 pandemic.	 Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including: evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; 			
The amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	 assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management including the probable impact of Covid-19 pandemic against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Board of Directors while adopting the Consolidated Financial Statements. assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy. 			

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms

Please refer to Note nos. 18(16) Our audit approach included and 18(15) of Consolidated testing the design, operating Financial Statement relating to Asset Quality in respect of movement of Non-Performing audit procedures in respect Assets (NPAs) and related provisions and disclosures with regard to Non-Performing Investments (NPI) respectively as also Note no. 18(14) regarding the provisions made due to the probable impact of Covid-19 pandemic.

effectiveness of internal controls and substantive of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular:

we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-21 293



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

अग्रिमों के साथ-साथ निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है, क्योंकि इसमें तात्विकता तथा बैंक की मौजूदा प्रक्रियाएँ निहित हैं जिनके लिए मानवीय हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान एवं निर्णय आवश्यक है.

अग्रिमों के साथ-साथ निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी संबंधित समझा है.

- हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में मानवीय प्रक्रिया और मानवीय नियंत्रणों सहित प्रमुख आईटी प्रणालियों/एप्लीकेशनों, उनकी डिजाइन और कार्यान्वयन तथा संबंधित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है.
- हमने अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया है. हमने रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के विवरण, हानि संकेतकों, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए हानि प्रावधानों तथा अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है; और
- हमने प्रबंधन निर्णय की पुरानी प्रवृत्तियों, अभिशासन प्रक्रिया और हानि प्रावधान गणनाओं के समीक्षात्मक नियंत्रण का मूल्यांकन किया तथा बैंक के शीर्ष तथा वरिष्ठ प्रबंधन से प्रावधानों पर विमर्श किया है.

आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

 बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व
 हमने बैंक की आईटी प्रणाली रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और
 को ध्यान में रखते हुए ही लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं व नमूना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों
 पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी
 तथा प्रित क्रिया है.

Compliance of relevant prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances as well as those pertaining to investments is a key audit matter due to materiality involved and the current processes at the Bank which requires manual interventions, management estimates and judgement.

RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments;

- we have tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls. includina involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments;
- we have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts. loan documentation. examined the statement of accounts, indicators of impairment. impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RRI guidelines;
- we have evaluated the past trends of Management judgement, governance process and review controls over impairment provision calculations and discussed the provisions made with the top and senior Management of the Bank.

IT Systems and controls over financial reporting

The Bank's key financial	• We have planned,
accounting and reporting	designed and carried
processes are highly	out the desired audit
dependent on Core Banking	procedures and sample
and Treasury Solutions and	checks, taking into
other supporting software and	consideration the IT
hardware controls such that	systems of the Bank.

कॉरपोरेट विहंगावलोकन Corporate Overview

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय • लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉडर्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. उपयक्त आईटी नियंत्रण अपेक्षित है ताकि आईटी एप्लिकेशन योजना के अनुसार कार्य करते रहें और परिवर्तनों पर उचित रूप से नियंत्रण रहे. इस प्रकार के नियंत्रण से आउटपुट डेटा के गलत होने का जोखिम न्यूनतम रहेगा. लेखापरीक्षा के परिणाम आईटी नियंत्रण व प्रणाली पर निर्भर करते हैं.

- ट्रेजरी और आईआरएसी के क्षेत्र में पर्याप्त मल्यांकन के लिए हमने प्रणालियों के एकीकरण के संबंध में प्रबंधन से चर्चा की है.
- इसके अलावा हमने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा तथा साथ ही सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर संचालित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है.
- हमने प्रमख ऑटोमोटेड व • मानवीय कारोबार चक्र नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टों के तर्क का परीक्षण भी किया है, साथ ही प्रतिकारी नियंत्रण का परीक्षण करने के अलावा वैकल्पिक प्रक्रियाएँ भी अपनाई हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसी ऐसे आईटी जोखिम पर कार्रवाई तो नहीं छुट गई, जो वित्तीय विवरणों पर तात्कालिक प्रभाव डाले.

कोविद -19 महामारी के कारण अनिवार्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर निर्भरता और ऑडिट प्रक्रियाओं का निर्वहन

और उनका ऑडिट करने के लिए आवश्यक जानकारी को रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने की बैंक की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल प्रक्रियाओं का संयोजन है. अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण तथा उसके बाद बैंक के परिसर का दौरा किए बिना इन प्रक्रियाओं का हमारे द्वारा दूर से ऑडिट किया जाना आवश्यक था. बैंक ने हमें सुरक्षित वर्चुअल नेटवर्क कनेशन उपलब्ध कराया जिसके माध्यम से हम कोर बैंकिंग समाधान एवं अन्य सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते थे. इलेक्ट्रोनिक आंकड़े/ जानकारियाँ/ दस्तावेज़ कॉमन डाइव पर शेयर किए गए. यदि हम शारीरिक रूप से कंपनी के परिसर में मौजूद होते, तो हमने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को परा कर प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पुष्टि की है:

- दस्तावेजों भौतिक को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बदलने के लिए लागू किए गए नियंत्रणों के बारे में प्रबंधन से पछताछ और उन्हें समझना.
- कोर बैंकिंग समाधान, टेजरी, आईआरएसी, अचल आस्तियां एवं परिचालन व्यय, वित्तीय रिपोर्टिंग और सीआरएआर कम्प्युटेशन सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न सॉफ्टवेयर्स से जानकारी निकालने के तरीके के बारे में प्रबंधन से पछताछ

there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting being records materially misstated Appropriate IT controls are required to ensure that the IT applications perform as planned and the changes made are properly controlled. Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. The audit outcome is dependent on the extent of IT controls and systems.

- We discussed with Management regarding integration of systems in the areas of treasury and IRAC to evaluate their adequacy.
- In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department, and also the audit of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants.
- We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the Consolidated Financial Statements.

Placing reliance on electronic evidence and performing of audit procedures during the mandatory national lockdown due to the Covid-19 pandemic

The Bank's procedures of recording and storing information necessary for preparation of Consolidated Financial Statements and having them audited is combination of electronic and manual processes. These processes were required to be audited by us remotely without visiting the Bank's premises due to the mandatory national lockdown and thereafter. Bank provided us a secure virtual private network connection through which we could access the core banking solution and other software and the electronic data / information / documents shared on common drives. Had we been physically present at the Company premises, we would have otherwise

We have carried out the validation of the electronic evidence provided by the Management by performing the following procedures:

- Inquiring with the Management of the controls they have implemented to convert physical documents into electronic versions and understanding them
- Inquiring with the Management the method and controls used extract to information from its various softwares including Core Banking Solution, Treasury, IRAC, fixed assets & operating expenses, financial

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

को सत्यापित कर लिया होता और हम भौतिक प्रतियों में लेखा परीक्षण के साक्ष्य एकत्र कर सकते थे.	करना और यह समझना कि प्रबंधन कैसे पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करता है.
	 संगतता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विभिन्न विशेषताओं का परस्पर तालमेल देखना.
	 जहाँ भी आवश्यक हो प्रबंधन से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करना.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारियों में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट उनके अनुबंध सहित (सामूह्कि रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटन) के तहत पिलर III के प्रकटन शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अन्य जानकारियाँ इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देते हैं.

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपलब्ध कराए जाने पर अभिनिर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है. यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को प्रभारप्राप्त व्यक्तियों को रिपोर्ट करना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति

verified the physical copies of critical documents and we would have collected the audit evidence in physical copies.	reporting and the CRAR computation softwares and understanding how the Management ensures completeness and accuracy
	Correlating various attributes of the electronic evidence obtained to ensure consistency and integrity.
	Obtaining representa- tions from the Management wherever necessary.

Information Other Than Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures). The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Group including its associate companies and jointly controlled entity in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and

कॉरपोरेट विहंगावलोकन Corporate Overview

प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनियों के संबन्धित निदेशक मंडलों को समूह में शामिल किया जाता है. इसकी सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयां संबन्धित इकाइयों के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

अपनी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह में शामिल संबन्धित निदेशक मण्डल भी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित झ्काइयों सहित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या तुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और तुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में साठ-गांठ, कपट, जानबूझकर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन का करना.
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चतता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह और इसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें हमारी

maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group, its associate companies and jointly controlled entity are responsible for assessing the ability of respective entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the respective Management either intends to liquidate their respective entities or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group including its associate companies and jointly controlled entity is also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group including its associate companies and jointly controlled entity.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Group has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.
- Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's including its associate companies and jointly

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-21 297



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती है.

 प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

- (i) हमने बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च, 2021 को ₹ 1,066.21 करोड़ की कुल आस्ति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 74.73 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है. इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रवान की गई है, और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.
- (ii) हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है :
 - (क) 05 देशी सहायक कंपनियों जिनके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2021 को समूह की कुल आस्तियां ₹ 839.28 करोड़ थीं तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 315.04 करोड़ और निवल नकदी प्रवाह ₹ 51.99 करोड़ था, जिनकी लेखापरीक्षा उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थीं और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई थीं तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.
 - (ख) 01 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी जिसके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2021 को कुल आस्तियों में समूह का हिस्सा ₹ 373.28 करोड़ था तथा समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 41.31 करोड़ था, जिसकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई थी तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

controlled entity ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group including its associate companies and jointly controlled entity to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication

Other Matters

- (i) We did not audit the financial statements of the foreign branch in Dubai included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,066.21 Crores as at March 31, 2021 and total revenue of ₹ 74.73 Crores for the year ended on that date. This branch has been audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.
- (ii) We did not audit the financial statements of:
 - (a) 05 domestic subsidiaries whose financial statements reflect the Group's share of total assets of ₹ 839.28 Crores as at March 31, 2021 and total revenues of ₹ 315.04 Crores and net cash inflows amounting to ₹ 51.99 Crores for the year then ended, which have been audited by their respective auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.
 - (b) 01 jointly controlled entity whose financial statements reflect the Group's share of total assets of ₹ 373.28 Crores as at March 31, 2021 and total revenues of ₹ 41.31 Crores for the year then ended, which has been audited by its respective auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

(iii) समेकित वित्तीय विवरणों में 04 सहयोगी कंपनियों के लाभ/हानि के शेयर शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनके वित्तीय विवरण/इनकी वित्तीय जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पर विचार नहीं किया गया है. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई वित्तीय विवरणो/ वित्तीय जानकारी के अनुसार ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है - टिप्पणी 18(10) देखें.

जहां तक किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में उपर्युक्त मामलों पर हमारे विश्वास का संबंध है, संयुक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, और नीचे के अन्य विधिक एवं विनियामकीय आवश्यकताओं के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः
 - क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.
 - ख) समूह के जो लेन-देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे समूह की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.
 - ग) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने 27 शाखाओं का दौरा किया है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से ऐसी शाखाओं में बनाए गए रिकॉर्ड की जांच कर सकें. जैसा कि ऊपर दिए गए मुख्य लेखापरीक्षा मामलों पर हमारे पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, स्थानीय लॉकडाउन के कारण शेष लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से आयोजित किया गया था. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, जिसमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी शामिल है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गयी है.
- इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;
 - ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और और पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;
 - ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;
 - इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;
 - ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं;

(iii) The Consolidated Financial Statements do not include share of profit / loss of 04 associates because these have not been considered on account of non-availability of their financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements / financial information are not material to the Group – refer note 18(10).

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.
- 2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Group, which have come to our notice, have been within the powers of the Group.
 - c) During the course of our audit we have visited 27 branches to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit. As mentioned in our paragraph on Key Audit Matters above, due to the local lockdowns, the remainder audit procedures were conducted remotely. The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the Management have been found adequate for the purpose of our audit.
- 3. Further, as required by section 143(3) of Act, we report that:
 - we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us;
 - c) the report on the accounts of the Dubai branch of the Bank audited by other auditors has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;
 - the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - e) in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

- च) यथा 31 मार्च 2021 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के सांविधिक लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों सहित समूह के किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;
- छ) समूह के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें;
- ज) हमारी राय और हमारी सम्पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अन्य लेखा परीक्षकों की ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, सहायक कंपनियां एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों, जो हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं, द्वारा वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार था. बैंक के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन बैंकिंग कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अधीन निर्धारित आवश्यकताएँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(2ए) के कारण लागू नहीं हैं.
- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा 'अन्य मामले' पैराग्राफ में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टी पर नोट किए गए विचारों के आधार परः
 - समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/ अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. - समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(12) (सी) का संदर्भ लें.
 - ii. समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(12) (बी) का संदर्भ लें.
 - iii. समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(17) (V) का संदर्भ लें.

कृते के एस अय्यर एंड कं.

For K S Aiyar & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या / ICAI FRN : 100186W

सतीश केलकर

Satish Kelkar साझेदार) / Partner ICAI M. No. 038934 UDIN:21038934AAAACB2165 स्थान : मुंबई / Place: Mumbai दिनांक :03 मई 2021 / Date: May 03, 2021 f) on the basis of written representation received from the directors of the Bank as on March 31, 2021 and taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors of its subsidiary companies and jointly controlled entity incorporated in India, none of the directors of the group companies including its jointly controlled entity are disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the report of the other auditors of subsidiaries & jointly controlled entity which was not audited by us, the remuneration paid by the group company and jointly controlled entity to its directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013. In case of Bank, being a banking company as defined under Banking Regulation Act, 1949 the requirements prescribed under Section 197 of the Companies Act, 2013 do not apply by virtue of Section 35B(2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors as noted in the "Other Matters" paragraph:

i)

- The Group and jointly controlled entity has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ ascertainable. – Refer Schedule 18(12)(C) to the Consolidated Financial Statements.
- ii) The Group and jointly controlled entity has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18 (12) (B) to the Consolidated Financial Statements.
- There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Group and jointly controlled entity. Refer Schedule 18 (17)(V) to the Consolidated Financial Statements.

कृते एम पी चितले एंड कं. For M P Chitale & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या / ICAI FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार / Partner ICAI M. No. 041037

UDIN:21041037AAAACK8529

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') और इसकी सहायक संस्थाओं, सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं ''समूह'' के रूप में निर्दिष्ट) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('मानक') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31, 2021 in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Bank and its subsidiaries, associates and jointly controlled entity ((the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Group's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to Consolidated Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors' Report

लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

समेकित वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. वित्तीय विवरणो पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

- (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;
- (2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में, समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों को अपनी समीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध परीक्षण की संवीक्षा एवं मध्यवर्ती/ नियंत्रण लेखों के समाधान को सुदृढ़ करने की जरूरत है. हमारी राय में समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Group's internal financial controls system with reference to Consolidated Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements includes those policies and procedures that

- pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Group, its associate companies and jointly controlled entity;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Consolidated Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the bank; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Consolidated Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Group, its associate companies and jointly controlled entity needs to strengthen its review process and management testing of scrutiny and reconciliations of intermediary/ control accounts. In our opinion, the Group, its associate companies and jointly controlled entity has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to Consolidated

कॉरपोरेट विहंगावलोकन Corporate Overview

वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित झ्काझ्यों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2021 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

- क्र) समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित विदेशी शाखा का संबंध है, यह संबंधित शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.
- ख) समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंध है, यह संबन्धित लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई हैं तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

कृते के एस अय्यर एंड कं.

For K S Aiyar & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या / ICAI FRN : 100186W

सतीश केलकर

Satish Kelkar साझेचर) / Partner ICAI M. No. 038934 UDIN:21038934AAAACB2165 स्थान : मुंबई / Place: Mumbai दिनांक :03 मई 2021 / Date: May 03, 2021 Financial Statements and such internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group, its associate companies and jointly controlled entity considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

- a) Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to the overseas branch audited by the branch auditor is based on the report of the respective branch auditor which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.
- b) Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to subsidiary companies and joint venture, is based on the corresponding report of the respective auditors which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

कृते एम पी चितले एंड कं.

For M P Chitale & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या / ICAI FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर

Ashutosh Pednekar साझेदार / Partner ICAI M. No. 041037 UDIN:21041037AAAACK8529

समेकित तुलाज-पत्र 31 मार्च 2021 को Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021

			(₹ '000 में / ₹ in '000)
	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10380 59 40
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	26875 63 67	24455 13 08
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest		112 98 19	103 57 93
जमाराशियां / Deposits	3	230706 80 59	222213 85 19
उधार राशियां / Borrowings	4	15908 05 32	36748 85 60
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	14296 95 61	6797 05 15
 कुल / TOTAL		298652 83 60	300699 06 35
ञ् आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13013 12 54	10539 17 27
बैंकों के पास शोष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	22294 99 38	19955 79 23
निवेश / Investments	8	81470 88 10	81995 83 28
अग्रिम / Advances	9	128152 39 27	129845 37 85
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	7872 73 06	8206 75 95
अन्य आस्तियां / Other assets	11	45848 71 25	50156 12 77
 कुल / TOTAL		298652 83 60	300699 06 35
ञ् आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	220742 81 92	117160 21 97
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9648 34 43	9870 72 91
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एव. 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)

(Rakesh Sharma) प्रबंध নিदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (র্डीआईएন/DIN: 06846594)

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं. For K S Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर

Satish Kelkar साझेवार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934) स्थान : मुंबई / Place: Mumbai दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

(जे. सैम्युअल जोसेफ) (J. Samuel Joseph) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530)

कृते एम. पी. चितले एंड कं.

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants

साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

For M P Chitale & Co.

आशतोष पेडणेकर

Ashutosh Pednekar

(सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)

(Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer (ज्योति नायर) (Jyothi Nair) कंपनी सचिव Company

Secretary

रामेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2021

				(₹ '000 में / ₹ in '000)
		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I.	आय / INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	19955 52 08	20854 18 84
	अन्य आय / Other Income	14	4848 10 97	4631 25 61
	कुल / TOTAL		24803 63 05	25485 44 45
П	व्यय / EXPENDITURE			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	11407 50 71	13841 11 92
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	6175 98 96	6447 16 91
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		5771 45 96	18044 55 87
	कुल / TOTAL		23354 95 63	38332 84 70
111	लाभ / PROFIT			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/ Net Profit for the year		1448 67 42	(12847 40 25)
	जोड़ें : सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा / Add: Share of Profit in Associate		83 45 72	28 10 08
	घटाएं : अल्पसंख्यक हित / Less: Minority Interest		18 16 27	15 93 52
	समूह लाभ / Group Profit		1513 96 87	(12835 23 69)
	लाभ आगे ले जाया गया / Profit brought forward		(45409 98 53)	(32371 67 30)
	कुल / TOTAL		(43896 01 66)	(45206 90 99)
IV	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		339 86 60	-
	पूंजीगत रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		285 00 39	185 91 01
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		2 19 32	3 51 75
	अंतिम लाभांश पर कर / Tax on Final dividend		-	7 89 32
	अंतरिम/अंतिम लाभांश पर कर / Tax on Interim/Final dividend		-	5 75 46
	निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) Investment Fluctuation Reserve(IFR)		544 61 04	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि Balance carried over to balance sheet		(45067 69 01)	(45409 98 53)
	कुल / TOTAL		(43896 01 66)	(45206 90 99)

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2021

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account			

(सुरेश खटनहार)

उप प्रबंध निदेशक

(Suresh Khatanhar)

Dy. Managing Director

(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)

निदेशक

Director

(Samaresh Parida)

(डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)

(Ajay Sharma)

वित्तीय अधिकारी

Executive Director & Chief Financial Officer

कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य

(ज्योति नायर)

(Jyothi Nair)

कंपनी सचिव

Company

Secretary

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)

(Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (র্डीआईएन/DIN: 06846594)

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

कृते के एस अय्यर एंड कं. For K S Aiyar & Co.

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर Satish Kelkar

साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934) स्थान : मुंबई / Place: Mumbai दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530)

(जे. सैम्युअल जोसेफ)

(J. Samuel Joseph)

उप प्रबंध निदेशक

कृते एम पी चित्तले एंड कं. For M P Chitale & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर

Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) इक्विटी शेयर 2500 00 00 000 (2500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	25000 00 00	25000 00 00
	25000 00 00	25000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1075 24 02 175 (1038 05 93 998) इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 नोट 17 (I) देखें) 1075 24 02 175 (1038 05 93 998) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note 17(l))	10752 40 22	10380 59 40
कुल / TOTAL	10752 40 22	10380 59 40

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2474 74 70	2474 74 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	339 86 60	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2814 61 30	2474 74 70
II -	पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3035 26 45	2874 87 61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	316 96 04	160 38 84
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	36 63 36	-
		3315 59 13	3035 26 45
Ш	पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	6503 36 63	6727 69 15
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	221 91 90	224 32 52
		6281 44 73	6503 36 63
V	शेयर प्रीमियम / Share Premium		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	49668 89 70	43013 19 63
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1075 90 43	6655 70 07
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	12 52 03	-
		50732 28 10	49668 89 70

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
राजस	a और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve		
(क)/	a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6610 49 09	6319 22 53
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकन समायोजन के पश्चात निवल) Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments)	6 77 16	1 92 39
	पुनर्मूल्यन रिजर्व से अंतरण / Transferred from Revaluation Reserve	221 91 90	224 32 52
	वर्ष के दौरान अन्य परिवर्धन/ (कटौतियां) Other Additions / (Deductions) during the year	(65 01 65)	65 01 65
		6774 16 50	6610 49 09
(ख) (b)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज्तर्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	6 35 04
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व		
(c)	Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	विलय के फलस्वरूप परिवर्धन / Additions on account of merger	-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	
		1566 00 00	1566 00 00
(घ) (d)	निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि Investment Fluctuation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	544 61 04	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		544 61 04	-
लाभ-	हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss account	(45159 42 17)	(45409 98 53)
	(I से VII) / TOTAL (I to VII)	26875 63 67	24455 13 08

अनुसूची 2 अ - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	112 98 19	103 57 93
कुल / TOTAL	112 98 19	103 57 93

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

			(₹ '000 में / ₹ in '000)
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
अ / A			
I.	मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
	(i) बैंकों से / From banks	9738 03 10	14120 37 19
	(ii) अन्य से / From others	30814 17 00	26342 73 82
		40552 20 10	40463 11 01
П.	बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	75890 52 52	65658 14 51
III.	सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
	(i) बैंकों से / From banks	8808 16 14	10173 56 34
	(ii) अन्य से / From others	105455 91 83	105919 03 33
		114264 07 97	116092 59 67
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	230706 80 59	222213 85 19
आ / B			
	(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India	230673 45 06	222172 77 48
	(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		
	Deposits of branches outside India	33 35 53	41 07 71
	कुल / TOTAL	230706 80 59	222213 85 19

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
l. ç	भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
((i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	10912 00 00
((ⁱⁱ⁾ अन्य बैंक / Other banks	945 15 00	1098 85 00
((iii) टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument) 	-	245 10 00
((iv) अपर टीयर II बांड / Upper Tier II bonds	-	1000 00 00
((v) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	4641 40 00	5537 50 00
((vi) बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
((vii) अन्य* / Others*	6557 92 02	6776 33 75
II. ç	भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	1118 58 30	8534 06 85
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	15908 05 32	36748 85 60

उपर्युक्त I तथा II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 147 73 74 हजार (पिछले वर्ष ₹ 11278 44 91 हजार)

Secured borrowings included in I and II above - ₹ 147 73 74Thousand (Previous year ₹ 11278 44 91 Thousand)

* इसमें ₹ 850 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 850 00 00 हजार) बेमीयादी ऋण लिखत शामिल हैं, जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं हैं

* Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 Thousand (Previous year ₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

			(₹ '000 में / ₹ in '000
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
Ι.	देय बिल / Bills Payable	1542 49 94	956 09 10
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	2 54 12
.	उपचित ब्याज / Interest accrued	498 06 01	713 16 42
IV.	अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)		
	 (क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets 	2998 32 51	1159 59 87
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	407 74 66	413 51 31
	 (ग) देय लाभांश तथा लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable 	-	
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	130 42 47	144 23 24
	(ङ) देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर (e) Service tax/TDS/Other taxes payable	92 95 88	88 06 97
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	18 49 23	47 38 46
	(ন্ত) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	3684 78 03	2982 32 83
	(র) বিবিধ (h) Miscellaneous	4923 66 88	290 12 83
_	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	14296 95 61	6797 05 15

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

			(₹ '000 में / ₹ in '000)
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
Ι.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	3092 46 90	2140 18 97
11.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	9920 65 64	8398 98 30
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	13013 12 54	10539 17 27

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

				(₹ '000 में / ₹ in '000)
			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	भारत	र में / In India		
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
		 (क) चालू खातों में (a) in Current Accounts 	203 98 27	140 37 07
		(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	6698 97 40	936 22 50
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
		(क) बैंकों के पास (a) with banks	499 86 24	-
		(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	14175 00 00	11200 00 00
			21577 81 91	12276 59 57
П	भारत	त से बाहर / Outside India		
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	502 41 10	7618 65 53
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	79 71 25	-
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	135 05 12	60 54 13
			717 17 47	7679 19 66
		कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	22294 99 38	19955 79 23

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000) यथा 31 मार्च 2020 को यथा 31 मार्च 2021 को As at As at March 31, 2021 March 31, 2020 भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in ï 75834 83 35 77012 20 48 (i) सरकारी प्रतिभूतियां* / Government Securities* (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities 1073 92 53 1259 96 61 (iii) शेयर / Shares 1452 49 35 2025 96 21 (iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds (v) सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures 14 07 68 5 90 73 (vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के युनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs) 2912 04 63 850 16 63 81287 37 54 81154 20 66 Ш भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in (i) सरकारी प्रतिभृतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities) 183 50 56 841 62 62 (ii) सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures (iii) अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares) 183 50 56 841 62 62 81470 88 10 81995 83 28 कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II) ш भारत में निवेश / Investments in India 85806 33 54 84103 58 41 निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments 4518 96 00 2949 37 75 घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यहास / Less: Aggregate provision / depreciation 81287 37 54 81154 20 66 निवल निवेश / Net investments भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India IV 183 50 56 841 62 62 निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments घटाएंः कुल प्रावधान/मूल्यहास / Less:Aggregate provision / depreciation 183 50 56 841 62 62 निवल निवेश / Net investments

* गैर-एसएलआर-एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित

* Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

			(₹ '000 में / ₹ in '000
		यथा 31 मार्च 2021 को As at	यथा 31 मार्च 2020 को As at
		March 31, 2021	March 31, 2020
अ/A			
(i)	खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	622 24 57	631 12 73
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	34242 49 65	37464 21 65
(iii)	मीयादी ऋण* / Term loans*	93287 65 05	91750 03 47
	कुल / TOTAL	128152 39 27	129845 37 85
आ / B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	121397 13 12	123498 96 62
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	705 74 63	72 33 62
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	6049 51 52	6274 07 61
	कुल / TOTAL	128152 39 27	129845 37 85
इ/C			
। भारत	1 में अग्रिम / Advances in India		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	63839 62 20	61543 41 59
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	1601 43 53	-
(iii)	बैंक / Banks	281 48 03	111 48 28
(i∨)	अन्य / Others	60229 94 50	63189 48 65
	कुल / TOTAL	125952 48 26	124844 38 52
॥ भारत	न से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others:	-	
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	-
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	396 79 91	898 65 04
	(ग) अन्य (c) Others	1803 11 10	4102 34 29
	कुल / TOTAL	2199 91 01	5000 99 33
	कुल योग (इ I तथा इ II) / TOTAL (C I and C II)	128152 39 27	129845 37 85

*₹शून्य हजार (पिछले वर्ष ₹ 755 00 00 हजार) की निवल अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल है.

* Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ Nil Thousand (Previous Year ₹ 755 00 00 Thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं

** Includes advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं

*** Includes advances against letter of credit issued by banks.

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000) यथा 31 मार्च 2020 को यथा 31 मार्च 2021 को As at As at March 31, 2021 March 31, 2020 Т परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी (2) देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note (2)) 7289 30 52 7211 04 14 प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year 30 01 70 78 67 40 वर्ष के दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन Revaluation made during the year वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year 41 47 01 41 02 आज की तारीख तक मुल्यहास / Depreciation to date 474 06 93 242 69 15 6803 78 28 7046 61 36 П अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures) 2233 20 92 2103 14 37 प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year 117 85 66 447 10 14 63 38 10 317 03 59 वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year 1689 37 43 1560 63 33 आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date 598 31 05 672 57 59 ш पट्टे पर दी गईं आस्तियां / Assets given on Lease 601 81 79 601 81 79 प्रारंभिक शेष / Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year -पट्टा समायोजन खाता / Lease Adjustment account वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year -600 05 27 600 05 27 आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date 1 76 52 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets 1 76 52 IV 470 63 73 487 57 00 चालू पुंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress 7872 73 06 8206 75 95 कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

Signal II - Si a Sinkiral / Senebole II - Officia Acolito		(₹ '000 में / ₹ in '000)
	यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
। अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	73 59	2 51
॥ उपचित ब्याज / Interest accrued	2108 71 41	2441 93 60
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	6540 19 21	5999 75 97
IV लेखन सामग्री और स्टांप / Stationery and stamps	16 13	16 46
V दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)*	791 98 93	791 98 93
VI अन्य / Others		
(क/a) आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	14448 90 11	15759 54 28
(ख/b) आबंटन के लिए लंबित शेयर/बांड / Shares / Bonds Pending allotment	-	-
(ग/c) विविध जमाराशियां व अग्रिम / Sundry deposit and advances	466 69 89	222 45 27
(घ/d) प्राप्य दावे / Claims receivable	326 50 87	334 83 82
(ङ/e) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/ संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	149 31 85	142 90 32
(च/f) विविध** / Miscellaneous**	21015 49 26	24462 51 61
कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	45848 71 25	50156 12 77

* प्रावधान घटाकर निवल बकाया राशि ₹ 78 38 93 हजार (पिछले वर्ष ₹ 78 38 93 हजार) है

* Amount outstanding net of provisions is ₹ 78 38 93 Thousand (Previous year ₹ 78 38 93 Thousand)

** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 18037 39 45 हजार (पिछले वर्ष ₹ 23831 46 08 हजार) का निवेश शामिल है

** Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 18037 39 45 Thousand (Previous year ₹ 23831 46 08 Thousand)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			(₹ 000 47 ₹ 11 000)
		यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020
I	दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims not acknowledged as debts	322 19 50	174 22 16
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	158173 95 82	44359 37 15
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	37655 65 94	40893 62 16
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	802 56 19	946 84 43
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	9904 65 41	7429 04 89
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	10824 76 32	20225 07 80
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	423 31 87	696 10 69
VII	पूंजीगत प्रतिबद्धता Capital commitment	17 90	15 56
VIII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	2408 63 76	2250 45 86
IX	अन्य / Others	226 89 21	185 31 27
	कुल (I से IX) / TOTAL (I to IX)	220742 81 92	117160 21 97

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

			(₹ '000 में / ₹ in '000)
		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	11821 16 98	13092 89 69
II	निवेशों से आय / Income on investments	5160 89 73	5788 09 13
	रिजर्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	648 74 13	454 20 92
IV	अन्य / Others	2324 71 24	1518 99 10
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	19955 52 08	20854 18 84

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

		(₹ '000 में / ₹ in	
		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1870 01 47	2010 56 51
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	1728 33 85	891 20 92
	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	1 37 24	2 90 84
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(42 02)	(4 74 25)
V	विनिमय लेन-देनों/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	376 01 26	548 72 27
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और/ या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	_	_
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	547 55 68	828 06 49
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	325 23 49	354 52 83
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	4848 10 97	4631 25 61

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
Ι	जमारशियों पर ब्याज / Interest on deposits	9248 44 15	11089 61 54
Π	रिजर्व बैंक/ अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	553 58 57	492 81 97
	अन्य / Others	1605 47 99	2258 68 41
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	11407 50 71	13841 11 92

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	3223 47 44	3363 71 33
	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	478 70 33	456 25 37
	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	34 64 93	43 32 25
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	26 55 60	37 51 18
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / Depreciation on bank's property	396 84 73	394 37 91
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	1 88 23	1 55 66
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 80 68	2 66 55
VIII	विधि प्रभार / Law charges	15 19 35	19 29 12
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	76 88 73	89 49 88
Х	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	87 27 72	79 63 97
XI	बीमा / Insurance	259 53 61	204 03 49
XII	अन्य / Others		
	(ক) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	127 11 04	111 33 23
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	289 61 29	397 16 85
	(ग) परामर्श व्यय(c) Consultancy expenses	34 98 91	17 02 77
	 (घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases 	3 42 84	4 85 02
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	564 03 03	618 35 21
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	101 17 65	37 76 05
	(ন্ত) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	1 52 74	15 05 41

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
(ज) यात्रा और	वाहन प्रभार		
(h) Travellin	g and conveyance charges	19 68 30	32 91 00
(ज्ञ) ट्रेजरी व्य	а		
(i) Treasury	/ expenses	5 31 26	4 23 84
(ञ) उधारी के	लिए फीस तथा अन्य व्यय		
(j) Fee and	other expenses for borrowing	71 12	77 97
(ट) अन्य व्यय	Γ		
(k) Other ex	kpenditure	424 59 43	515 82 85
कुल (I से XII)	/ TOTAL (I to XII)	6175 98 96	6447 16 91

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां

SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 तैयार करने का आधार: / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इकाई) द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों (एएस) उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित, अधिनियम के प्रावधानों (जहाँ तक अधिसूचित हैं) के अनुसार और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप हैं. समूह लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, को छोड़कर तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. लेखांकन नीतियाँ समूह द्वारा लगातार लागू की गई हैं और जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो, इन्हें पिछले वर्ष की तरह ही जारी रखा गया है.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) & Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Companies Act , 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules made there under, provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Group follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the Group and are consistent with those used in the previous year except where otherwise stated.

2 समेकन तैयार करनाः / Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस-21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक एएस-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस-27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी - बैंक) और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its Subsidiaries/ Associates /Joint Venture/ as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2021.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया हैः (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर, विलोपन हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर किया जाएगा (ग) एएस-23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंतः समूह संव्यवहारों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake. c) its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिजर्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/ associates is recognized in the financial statements as goodwill/ capital reserve.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं: Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

- (क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा
- (a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and
- (ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का घट-बढ.
- (b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं SN	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation ┌─	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
अ) A)	वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiary Companies:			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Limited	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	भारत India	66.67	66.67
आ) B)	गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: Non-Financial Subsidiary Companies:			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited	भारत India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Limited	India	54.70	54.70
इ) C)	जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:			
1)	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Limited	भारत India	25	48
ई) D)	सहयोगी संस्थाएं: Associate Companies:			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Limited	भारत India	26.10	26.10
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	India	27.93	27.93
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	भारत India	25	25
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Limited (PIPDICL)	भारत India	21.14	21.14

3 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके. Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Limited,

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

- ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है. Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.
- iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है. Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.
- बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
 Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.
- प. सूचिबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है. असूचिबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश को प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है.
 For listed companies, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. For unlisted companies dividend is booked as and when received.
- vi. गैर-निष्पादित अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है. In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में,

B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

- i. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.
- ii. तुलन-पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शातें के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है. Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

- iii. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है. Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.
- iv. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.
 Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.
- v. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित है. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है. राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसुल किया गया है, शामिल नहीं है.

Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management and other fees are accounted for on accrual basis. Dividend is recognized when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date. Revenue excludes Service Tax/GST, wherever recovered.

vi. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और ट्रेड में स्टॉक प्रकृति वाली अन्य प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को कंपनी की निधियों का टर्नओवर दर्शाने के लिए लाभ और हानि खाते में प्रकटन किया जाता है और इसमें केवल एकमुश्त लेन-देन शामिल हैं. इस उद्देश्य के लिए जब ये प्रतिभूतियाँ परिपक्वता की तारीख तक कंपनी के पास रहती हैं, तो बिक्री में मोचन से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है. Purchases and sales of dated government securities, treasury bills and other securities in the nature of stock in trade are disclosed in the Profit and Loss Account, with a view to indicating the turnover of funds of the company and include only

disclosed in the Profit and Loss Account, with a view to indicating the turnover of funds of the company and include only outright transactions. For this purpose, sales also include redemption proceeds, if any, when these securities are held by the company till the date of maturity.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में,

C. In case of IDBI Asset Management Limited,

- i. निवेश प्रबंधन शुल्क: निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर/जीएसटी को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो. Investment Management fees: Investment Management fees are recognized net-off service tax/GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the
- 'Regulations') as amended ii. अन्य आय: ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

Other income: Interest income is accounted for on period proportion basis. The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

iii. ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपचित होता है. ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है. इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है. प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/छूट के मामले में इसे सम्पूर्ण अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for

Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered. In case of premium /discount on securities the same is being amortized over the tenure.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी लि. के मामले में,

D. In case of IDBI MF Trustee Limited,

- i. ट्रस्टीशिप शुल्क: ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए. Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.
- ii. अन्य आयः निवेशों से आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,

E. In case of IDBI Intech Limited,

- i. राजस्व मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं और सॉफ्टवेयर उत्पादों के लाइसेंस से प्राप्त होता है. कंपनी कॉल सेंटर सेवाओं से भी राजस्व अर्जित करती है. सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य पर, या निश्चित समय सीमा या समय और सामग्री के आधार पर होती है. निश्चित मूल्य और निश्चित समयबद्ध संविदाओं के मामले में, जहां माप या प्रतिफल की सामूहिकता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, वहाँ इन्हें सेवा पूर्णता और संविदा के मूल्य की पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है. जब माप या अंतिम वसूली के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, वहाँ इन्हें सेवा पूर्णता और संविदा के मूल्य की पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है. जब माप या अंतिम वसूली के बारे में अनिश्चितता होती है, वहाँ ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व आकलन स्थगित कर दिया जाता है. जब माप या अंतिम वसूली के बारे में अनिश्चितता होती है, वहाँ ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व आकलन स्थगित कर दिया जाता है.
 Revenue is primarily derived from software development and related services and from the licensing of the software products. The Company also generates revenue from call center services. Arrangement with customers for software development and related services are either on a fixed price, fixed-timeframe or on a time-and-material basis. In case of fixed price and fixed time framed contracts, where there is no uncertainty as to measurement or collectivity of consideration, are recognized using percentages of completion method of value of the contract and completed service. When there is uncertainty to the measurement or ultimate collectivity, revenue recognition is postpone until such uncertainty is resolved.
- ii. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को वस्तु की संपत्ति के हस्तांतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है.

Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone.

- iii. वार्षिक प्रौद्योगिकी सेवाओं (एटीएस) से प्राप्त राजस्व को उस अवधि के अनुपात में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
 Revenue from Annual Technical Services (ATS) are recognized proportionately over the period in which services are rendered.
- iv. क्लाइंट प्रशिक्षण, सहायता और सॉफ़्टवेयर उत्पादों की बिक्री के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित सेवाओं के निष्पादन के रूप में मान्यता दी जाती है.

Revenue from client training, support and other services arising due to the sale of software products is recognised as the related services are performed.

v. अपूर्ण संविदाओं से अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, का प्रावधान उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वर्तमान अनुमान के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित होते हैं. पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में परिलक्षित होता है जिसमें परिवर्तन ज्ञात होता है. प्रनिष्पादित सेवाओं के अग्रिम में प्राप्त या बिल की गई राशि को अनर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल बिल न की गई सेवाएं संविदा की शर्तों के अनुसार बिलिंग से पहले की गई सेवाओं के आधार पर मानी जाती हैं. राजस्व को छूट/प्रोत्साहन घटाने के बाद रिपोर्ट किया जाता है.

Provision for estimated losses, if any, from the incomplete contracts are recorded in the period in which such losses become probable based on the current estimate. The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.

vi. कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित संविदाओं और वचनबद्ध सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.

Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.

vii. ब्याज आय को अनुपतिक आधार पर दर्शाया जाता है. Interest Income is recognised on time proportion basis.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि, के मामले में,

F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

i. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है. यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष / वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है

The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis. Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination. Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

- ii. वर्ष के अंत में एक अशोध्य ऋण प्रावधान की गणना निम्नानुसार तब की जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि बकाया राशि की वसूली संदिग्ध है: A bad debt provision is recognized at the year-end where it is ascertain that the outstanding dues are doubtful of recovery as under:
 - ⇒ 18 माह से अधिक ऋणी 75% Debtors over 18 months - 75%
 - ⇒ जहां वसूली की संभावना नगण्य हो वहाँ मामला-दर-मामला आधार पर अतिरिक्त प्रावधान 100% Additional provision on case to case basis where chances of recovery is negligible - 100%
- iii. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.

Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

ए. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.के मामले में,

G. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

(i) प्रीमियम आय:

Premium Income:

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है. संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है. टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है. For non-linked business, premium (net of Service Tax / goods and services tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt. Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium. Top up premiums are considered as single premium. For linked business, premium is recognized as income when the associated units are allotted.

(ii) संबद्ध निधि से आय:

Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

(iii) निवेशों पर अर्जित आय:

Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है. बीमा पॉलिसियों पर ऋण से अर्जित ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है तथा इसे निवेशों पर ब्याज आय में शामिल किया जाता है. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. वैकल्पिक निवेश फंडों से प्राप्त आय को उस समय निर्धारित किया जाता है जब आय फंड द्वारा वितरित की जाती है. संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होती है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.

Interest income on investments is recognized on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognized over the holding/maturity period on a straight-line basis. Interest income earned on loan against insurance policies is recognized on accrual basis and is included in interest income on investments. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Income from Alternative Investment Funds is recognized when the income is distributed by the fund. Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंडों तथा वैकल्पिक निवेश फंड की यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में 'उचित मूल्य परिवर्तन खाते' के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित जाती है. अवमानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किसी आस्ति के संबंध में आय को उसकी प्राप्ति की तारीख से आय के रूप में माना जाता है. Profit or Loss on sale of equity shares, mutual funds and alternative investment fund units for other than linked business

is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account". Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale. Income in respect of any asset classified as Sub-Standard Assets is recognized as Income on the date of receipt.

(iv) शुल्क और प्रभार

Fees and Charges

आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावी राशि से प्रशासन तथा निधि प्रबंधन व्ययों की वसूली का हिसाब उपचित आधार पर किया जाता है.

Recovery towards administration and fund management expenses from the Unclaimed Amount of Policyholders in accordance with IRDAI regulations is accounted on accrual basis

5 अग्रिम और प्रावधानः / Advances and Provisions:

- i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है. Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.
- ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

- iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है. The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.
- v. पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारण ऋणों और अग्रिमों का बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
 Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.
- vi. बैंक, बोर्ड के अनुमोदन से प्रावधानीकरण पर संशोधित रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है. The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, in earlier years, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

6 निवेश: / Investments:

अ. आईडीबीआई बैंक के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Limited

I. वर्गीकरणः / Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

- i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,
- ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and
- iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है. Investments under each category are further classified as:

- i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities
- iii. शेयर / Shares
- iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds
- v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures
- vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र) Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

II. वर्गीकरण का आधार: / Basis of Classification:

- क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
- a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.
- ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
- Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.
- ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
- c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

- घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनसार की जाता है.
- d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.
- (ड) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यतः 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.
- e) Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, which are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investment in associates is done at the time of its acquisition.

III. मूल्यांकन : / Valuation:

- i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में: / In determining the acquisition cost of an investment:
 - क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
 - a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.
 - ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.
 - b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.
 - ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.
 - c) Cost is determined on the weighted average cost method.
- ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments, including those in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates, under this category is provided for each investment individually.

 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

- क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.
- a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,
- ख) क्रय-विक्रय/ उद्धत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सची से लिया जाता है.
- b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.
- ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेशियल बेंचमार्क इंडिया प्रायवेट लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है.
- c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL).

- घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा 1/- रुपये प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्य रिजर्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.
- d) Unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at Re. 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.
- (ड) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को फिक्स इंनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागृ किया जाता है.
- e) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.
- च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मुल्य को हिसाब में लेता है.
- f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.
- छ) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.
- g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.
- ज) तनावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता पर धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. सितंबर 2024 तक अंतिम वसूली में अनुमानित कमी के लिए प्रावधान रखा गया है.
- h) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held To Maturity and valued at cost. Provision is made for estimated shortfall in eventual recovery by September 2024.
- झ) एचटीएम श्रेणी में धारित वीसीएफ निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है तथा जो एएफएस श्रेणी में धारित हैं, उन्हें निधि गृहों से प्राप्त एनएवी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.
- i) VCF investments held in HTM category are valued at Carrying Cost and those held in AFS category are valued on NAVs received from Fund Houses.
- ञ) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एएफएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (व्हायटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की व्हायटीएम दरों पर उचित कीमत-लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है. इस प्रकार के कीमत-लागत अंतर तथा व्हायटीएम दरें स्थिर आय मुद्रा बाजार तथा 'निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के आधार पर लागू की जाती हैं.
- j) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/ FBIL. MTM Provision is done on monthly basis.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिजर्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated,

net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है. / Investments are stated net of provisions.

N. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन: / Repo and reverse repo transactions:

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिजर्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Assets Management Limited,

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में हास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है.

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में

C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है.

All investments which are held, since a long period, same are classified as Non-Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognized, if considered other than temporary.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में,

D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

- क. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
- a. Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है. Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

- ख. विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन-पत्न के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यहास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.
- b. Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.
- ग. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है..
- c. Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

उ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में,

E. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

- बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.
 Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938 as amended by Insurance Law (Amendment) Act, 2015, the IRDAI (Investment) Regulations, 2016, and various other circulars / notifications and amendments issued by the IRDA in this context from time to time.
- ii. निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

(क) वर्गीकरणः

(a) Classification:

तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as short term investments.

ii. अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

(ख) मुल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश

(b) Valuation - shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शायी जाती हैं जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन हैं.

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना

जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन-पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख की वैकल्पिक निधि यूनिटों की मूल्यांकन निधि हाउस में उपलब्ध अंतिम एनएवी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Alternative investment fund units as at the balance sheet date are valued at last NAV available from the fund house. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iii. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/ हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलन-पत्र में आगे ले जाया जाता है.

Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

M. किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.

Any impairment loss is recognized as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognized impairment loss is recognized in Revenue or Profit and Loss Account.

(ग) मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार

(c) Valuation - linked business

i. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मुल्य आधार पर किया जाता है.

Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

ii. मुद्रा बाजार लिखतों अर्थात् - जमा प्रमाणपत्र, संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे - वाणिज्यिक पत्रों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एफआईएमएमडीए से प्राप्त प्रतिफल वक्र मल्यों पर किया जाता है.

Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued based on yield curve / prices obtained from FIMMDA in line with IRDAI guidelines.

iii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' पर उद्धृत अंतिम भाव होता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो सेकेन्डरी एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' पर उद्धृत बंद भाव को उचित मूल्य माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को पर प्रचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को पर पर्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange

('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

⋈. निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.

Unrealized gains/losses on investments are recognized in the respective fund's Revenue Account.

(घ) निवेशों का अंतरण

(d) Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तथापि, ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधनकृत लागत पर किए जाते हैं. यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.

Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortized cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

7 डेरिवेटिव लेन-देन: / Derivative Transactions:

अ. 'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में :

A. In Transactions designated as `Hedge':

- क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
- a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.
- ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.
- b) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.
- ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.
- c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.
- घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मुल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
- d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

आ. 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:

B. In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग के लिए' नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप,परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

इ. वायदा सौदों एवं विकल्प संविदा में लेन-देन

C. Transactions in Futures and Options

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में, / In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

i. भावी संविदा करने / विकल्पों की बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन को सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के साथ जमा के साथ समायोजित किया जाता है.

Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. भावी संविदा में लेन-देन को संविदा के कल्पित व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में माना जाता है. तुलन पत्र की तिथि के अनुसार फ्यूचर्स में अस्थिर ब्याज को इसके कल्पित मूल्य से घटाया जाता है.

Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

iii. पिछले दिन के निपटान मूल्य या एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य और बाद के दिन के एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य में एक्सचेंज को किए गए या प्राप्त भुगतान अंतर को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में बैलेंस, तुलन पत्र की तारीख तक भावी संविदा में अस्थिर ब्याज की कीमतों में बदलाव के आधार पर भुगतान या प्राप्त की गई निवल राशि को दर्शाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में निवल नामे बैलेंस को राजस्व से प्रभारित किया जाता है जबकि निवल जमा बैलेंस को चालू देनदारियों के तहत दिखाया जाता है.

The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

N. विकल्पों की खरीद और बिक्री पर भुगतान या प्राप्त प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में गिना जाता है. तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए विकल्पों में खुले ब्याज के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है. तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है. तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है. इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है. इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम के तारीख पर प्रचलित प्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम को जात है जसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है. कई खुली स्थितियों के मामले में, खरीद और बिक्री की स्थिति में शेष राशि तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है.

Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognized. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ई. ब्याज दर स्वैप

D. Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में, आस्ति और देयताओं में प्राथमिक डीलरशिप संचालन से संबंधित बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित मूल राशि को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि संविदा की शर्तों के अनुसार नियत तारीखों पर की जाती है.

In case of IDBI Capital Market Securities Limited, Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

8 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रासः / Fixed Assets and Depreciation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Limited,

अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यहास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में दर्शाया जाता है.

Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

- ii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है. Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- iii. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिजर्व में शामिल किया जाता है. The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.
- iv. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.

Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

 y. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यन रिजर्व से सामान्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है.

In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

- vi. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है. Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.
- vii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग इ में उपबंधित अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के अनुमान के अनुसार बिसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के अनुमान के अनुसार है तो प्रवंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यहास की ऊंची दर लगायी जाती है.

Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

- viii. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यहास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है. Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.
- ix. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है: / The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति Asset	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6

आस्ति Asset	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
- कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employe	es
a)	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

- लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
 Leasehold land is amortized over the period of lease.
- xi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यहासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है.

Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,

B. In case of IDBI Assets Management Limited,

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्नास और ह्रास को घटाकर अर्जन लागत पर दर्शाया जाता है. लागत मूल्य में आस्तियों के अर्जन एवं संस्थापन से संबंधित मालभाड़ा, शुल्क, कर और प्रासंगिक व्यय शामिल होते हैं. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भविष्य में लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना हो. मौजूदा अचल आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपूर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.

Fixed assets are carried at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment. Cost includes freight, duties, taxes, and incidental expenses related to the acquisition and installation of the assets. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing fixed assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred.

ii. मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यहास की दरें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल तर प्रबंधन के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल के स्व की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुसार महत्यहास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया गया है

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी Class of Fixed Assets	मूल्यहास की दर (% में) - एसएलएम आधार पर (01 अप्रैल 2015 से लागू) Rate of Depreciation (In%)- SLM basis (applicable from April 01, 2015)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	19.00
आईटी हार्डवेयर IT Hardware	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with Employees	33.33

- iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है,
 एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णत: मूल्यह्रासित किया जाता है,
 Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years,
 Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.
- iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में,

C. In case of IDBI Intech Limited,

- अचल आस्ति को उनकी संचित मूल्यहास/ परिशोधन और हासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत को दर्शाया जाता है. लागत में लक्षित प्रयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्ति के अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं.
 Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation / amortization and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring these to working conditions for intended use.
- ii. सॉफ़्टवेयर उत्पाद विकास लागतों को व्यय के रूप में तब तक खर्च किया जाता है जब तक कि परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता, भविष्य के आर्थिक लाभ, कंपनी के पास सॉफ़्टवेयर को पूरा करने और उपयोग करने या बेचने का इरादा और क्षमता है तथा लागत को विश्वसनीयता के साथ मापने की बात सिद्ध नहीं हो जाती. जिन लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है, उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मानव-शक्ति और उपरि लागत शामिल हैं जिसका संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने में प्रत्यक्ष योगदान है.

The intangible assets like softwares, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs. Research costs are expensed as incurred. Software product development costs are expensed as incurred unless technical and commercial feasibility of the project is demonstrated, future economic benefits are probable, the Company has an intention and ability to complete and use or sell the software, and the costs can be measured reliably. The costs which can be capitalized include the cost of material, direct man-power and overhead costs that are directly attributable to preparing the asset for its intended use.

 अचल संपत्तियों की लागत जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उन्हें पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में दिखाया गया है.

The cost of the fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date are shown as capital work-in progress.

ई. आईडीबीआई ट्स्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में

D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

 i. अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यहास निर्धारित दर पर अवलिखित आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यहास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹ 5000/- से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मुल्यहासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

ii. लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसरण में आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.

In accordance with Accounting Standards AS-26, Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of intangible assets is provided on Written down Value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में,

E. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

i. मूर्त आस्तियों के मामले में संपत्ति की मदें, संयंत्र और उपकरण की पहचान आरंभ में लागत पर की जाती है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा हानि को घटाकर मूल लागत पर की जाती है. संपत्ति की मदों, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके आकलित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्य ह्रासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है.

In case of Tangible Assets, Items of property, plant and equipment are initially recognized at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

भवन - 60 वर्ष / Buildings - 60 years

कम्प्यूटर - 3 वर्ष / Computers – 3 years

फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10 वर्ष / Furniture& Fixtures - 10 years

कार्यालय उपकरण - 5 वर्ष / Office Equipment's – 5 years

सभी मूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में ₹ 5000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रसित कर दिया जाता है.

All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

ii. अमूर्त आस्तियों के मामले में, अर्जित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंसों को आरंभ में लागत पर पूंजीकृत किया जाता है जिसमें खरीदी मूल्य (किसी भी छूट अथवा रिबेट को घटाकर) और आस्ति को उसके नियत प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु लगे अन्य प्रत्यक्ष रोप्य लागत को शामिल किया जाता है. सॉफ्टवेयर की मूल लागत में प्रत्यक्ष व्यय जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्यनिष्पादन को बढ़ाता और विस्तारित करता हो और जिसे उसके ब्योरे से से आगे और विश्वसनीय रूप से आँका जा सकता है, को शामिल किया जा सकता है. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के रखरखाव से संबंधित खर्च वहन किए जाने पर उसे व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.

In case of Intangible Assets, Acquired computer software licences are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognized as an expense when incurred.

पूंजीकरण हेतु पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में लिया जाता है जहां पर कि ऐसी आस्तियां उनके नियत उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं.

Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी मूल्य पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन हेतु प्रयोग अमूर्त आस्तियों का अनुमानित उपयोगी मुल्य हैः

Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 3 वर्ष / Computer Software - 3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष / Web Trading Portal – 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज कार्ड - 21 वर्ष / Bombay Stock Exchange Card – 21 years.

प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट के आर्थिक मूल्य का अनुमान उसके उपयोग मूल्य के आधार पर लगाता है.

Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

सभी अमूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में ₹ 5000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रसित कर दिया जाता है.

All Intangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

 iii. संपत्ति, संयत्र और उपकरण, जिनकी एकल लागत ₹ 5000/- अथवा कम हो, को खरीदी /अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
 Property, Plant and Equipment, individually costing ₹ 5000/- or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का आंकलित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र में की जाती है. किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रभावों को परिवर्तनों के उत्पन्न होने पर लाभ व हानि विवरणो में दर्शाया जाता है The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognized in profit or loss when the changes arise.

ऊ. एजिस फ़ेडरल लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि. के मामले में,

F. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

 अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत कोई भी लागत शामिल हैं. मूल्यहास को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) का प्रयोग करते हुए मुल्यहास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है :

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset in the manner specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, as stated below:

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
भवन / Building	60
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold improvements	3
संचार नेटवर्क व सर्वर Communication networks and servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण Computers and peripheral equipments	3
कार्यालय उपकरण / Office equipment	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & fixtures	10
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8
बिजली व उपकरण Electrical Installations and Equipments	10

II. सॉफ्टवेयर युक्त अमूर्त आस्तियों को परिशोधन घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उन्नयनों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का उन्नयन आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का उन्नयन आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably.

Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred.

ऋ. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में,

G. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited,

I. स्वामित्व वाली आस्तिः / Owned Asset:

स्वयं के उपयोग के लिए ली गई आस्ति पर उनके संचित मूल्यहास और हासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल लागत को दर्शाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में क्रय मूल्य, शुल्क, कर और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है.

Assets held for own uses are stated at original cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost of Property, plant and equipment comprises purchase price, duties, levies and any directly attributable costs of bringing the assets to its working condition of the intended use.

आस्ति हेतु मूल्यह्नास राशि आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, आंकलित अवशिष्ट मूल्य घटाकर है.

Depreciable amount for asset is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आंकलित उपयोगी जीवनकाल जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुरूप है और मूल्यह्रास की पद्धति निम्नानुसार उल्लिखित की गई है:

The estimated useful life of Property, plant and equipment which is in line with schedule II to the Companies Act 2013 and the method of depreciation is set out herein below:

आस्ति	उपयोगी जीवनकाल	मूल्यह्रास की पद्धति
Assets	Useful Life	Method of
		Depreciation
संयंत्र एवं उपकरण	15 वर्ष	सीधी रेखा पद्धति
Plant & Equipment's	15 Years	Straight Line Method
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10 वर्ष	सीधी रेखा पद्धति
Furniture and Fittings	10 Years	Straight Line Method
 विद्युत उपकरण	10 वर्ष	सीधी रेखा पद्धति
Electrical Equipment's	10 Years	Straight Line Method
वाहन	8 वर्ष	सीधी रेखा पद्धति
Vehicles	8 Years	Straight Line Method
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	सीधी रेखा पद्धति
Office Equipment's	5 Years	Straight Line Method
कम्प्युटर	3 वर्ष	सीधी रेखा पद्धति
Computers	3 Years	Straight Line Method
मोबाइल फोन	3 वर्ष	सीधी रेखा पद्धति
Mobile Phones	3 Years	Straight Line Method

॥. अमूर्त आस्तियां / Intangible Assets

अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन और ह्रसित हानियों से घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्ति की पहचान, जहां यह संभावना है कि आस्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और जहां उसकी लागत विश्वसनीय तरीके से मापी गयी हो, की जाती है. अमूर्त आस्तियों की परिशोधन राशि सीधी रेखा पद्धति पर उसके उपयोगी जीवनकाल के सर्वश्रेष्ठ आंकलन पर आबंटित की गयी है.

Intangible Assets are stated at cost of acquisition, less accumulated amortization and impairment losses. An intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The amortizable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a straight-line basis.

9 प्रतिभूतीकरण लेन-देनः / Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता

है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभुतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control over the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री: Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) के भुनाई मुल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मुल्य में से निम्नतर आधार पर की गई है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

पूरी तरह से प्रावधान की गई आस्तियों अर्थात संदिग्ध आस्तियों की बिक्री और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में एक रुपये के रूप में गणना की जाती है.

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य धारित प्रावधान हटाकर) से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में डेबिट किया जाता है . बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी भी कमी अर्थात् जब बिक्री एनबीवी से कम हो, को पूरा करने के लिए आरबीआई की अनुमति से प्रतिचक्रीय/ अस्थायी प्रावधानों का प्रयोग करता है.

In case the sale value is at a price below the Net Book Value(NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year. The Bank also uses, with permission of RBI, countercyclical/floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो अतिरिक्त प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है. तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है.

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

11 विदेशी मुद्रा लेन-देनः / Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Limited,

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुस्लात में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाएं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

M. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized on the date of termination.

 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गार्राटयों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. के मामले में,

B. In case of IDBI Assets Management Limited,

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

इ. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में,

C. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, यदि कोई हों, का रूपान्तरण वर्ष के अंत में समाप्त दर पर किया जाता है. निपटान/रूपान्तरण पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे, जैसा लागू हो, में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में,

D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited,

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को सम्बद्ध वर्ष के दौरान आय या व्यय के हिसाब में लिया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में,

E. In case of IDBI Intech Limited,

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार, संव्यवहार के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किए जाने हैं. विदेशी मुद्रा संव्यवहार के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुएं तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुनःस्थापित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting net exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता को कम करने की दृष्टि से, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं निष्पादित करती है. फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और अन्य समान लिखत जो पूर्वानुमानित लेनदेन के संबंध में नहीं हैं, उन्हें लेखांकन मानक ('एएस') 11 यथा 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' में के दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है. इन वायदा विनिमय संविदाओं और एएस-11 द्वारा कवर किए गए अन्य समान लिखतों के संबंध में संविदा की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर या तो संविदाओं को रिपोर्टिंग तिथि पर अग्रिम दर/ उचित मूल्य के आधार पर दर्ज किया जाता है, या रिपोर्टिंग तिथि पर स्पॉट विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया जाता है.

With a view to minimize the volatility arising from fluctuations in currency rates, the Company enters into foreign exchange forward contracts. Forward exchange contracts and other similar instruments that are not in respect of forecasted transactions are accounted for using the guidance in Accounting Standard ('AS') 11, 'The effects of changes in foreign exchange rates'. For such forward exchange contracts and other similar instruments covered by AS-11, based on the nature and purpose of the contract, either the contracts are recorded based on the forward rate/fair value at the reporting date, or based on the spot exchange rate on the reporting date.

ऊ. आईडीबीआई ट्स्टीशिप सर्विसेस के मामले में,

F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

12 कर्मचारी लाभः / Employee Benefits:

- i. अंशदान के देय होने पर निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में किए गए भुगतान को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.
- ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है. For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.
- कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

13 खंड रिपोर्टिंग: / Segment Reporting:

समूह चार खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं तथा अन्य परिचालन में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समुहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

14 कराधानः / Taxation:

कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं. / Tax expense comprises of current and deferred tax.

i. चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

 aर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

- iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
 Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.
- v. आईडीबीआई बैंक ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अनुसार कम कर दर का विकल्प चुना है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि एमएटी कम कर का विकल्प चुनने वाली देशी कंपनियों के लिए लागू नहीं होगा.
 IDBI Bank has opted for the lower tax rate as per Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendments) Act, 2019 which provides, inter alia, that MAT would not be applicable for the domestic companies opting for the lower tax.
- vi. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर जमा का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त साक्ष्य के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि कंपनी सांविधानिक समय-सीमा के अंतर सामान्य आय कर का भुगतान करेगी तथा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है.

In respect of certain subsidiaries, tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the it will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.

vii. समेकित वित्तीय विवरणों में, आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों की गणना एकल इकाई स्तर पर की जाती है और समेकित रिपोर्टिंग के लिए एकत्रित की जाती है.

In the consolidated financial statements, deferred tax assets and liabilities are computed at an individual entity level and aggregated for consolidated reporting.

15 दलाली एवं नए निधि प्रस्ताव व्यय: / Brokerage &New Fund Offer expenses:

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में / In case of IDBI Asset Management Limited

दलाली: असीमित अवधि वाली इक्विटी लिंक्ड कर बचत योजना के मामले में अदा की गई अपफ्रंट दलाली को 36 महीने की अवधि में परिशोधित करना होता है तथा अन्य असीमित अवधि वाली योजना के मामले में इसे भरपाई अवधि में परिशोधित करना होता है. सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में अपफ्रंट दलाली को परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित करना होता है.

Brokerage: Upfront Brokerage paid in case of open ended Equity Linked Tax Saving schemes are to be amortized over the period of 36 months and in case of any other open ended scheme, over the claw back period. In case of closed ended schemes upfront brokerage to be amortized over the tenure of the scheme.

नए निधि प्रस्ताव (एनएफओ): नए निधि अंतर को आरंभ करने संबंधी व्ययों को उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में प्रभारित करना होता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं और सीमित अवधि वाली योजनाओं के लिए इसे योजना की अवधि के लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित करना होता है.

New Fund Offer (NFO): Launch expenses relating to New Fund Offer are to be charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which they are incurred and for close ended scheme it is to be charged to the Statement of Profit and Loss over the tenure of the scheme

16 पट्टे (एएस-19): / LEASES (AS-19) :

- क) लीज/किराये के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य हैं.
- a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank
- ख) बैंक द्वारा किया गया पट्टा सहमत अवधि के लिए है और पट्टे की अवधि के दौरान भी पट्टे को पारस्परिक सहमति से एक कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त करने का विकल्प है.
- b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- ग) परिचालन पटटों के लिए भगतान किए गए पटटे के किराए की संबंधित वर्ष के लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में गणना की जाती है.
- c) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

17 प्रति शेयर उपार्जन : / Earnings Per Share:

 समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
 The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाते हैं जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

18 आस्तियों की अनर्जकता : / Impairment of Assets:

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूली योग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

 iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

Mathematical and a set of the set of the

20 योजना से संबंधित व्यय: / Scheme related expenses:

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के संबंध में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनिमय 1996 अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने वाले आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजना के व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जा सकते हैं. तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई भी व्यय लाभ-हानि लेखे को प्रभारित नहीं किया गया है. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड पर लगाये जाने वाले सचिवीय तथा अन्य प्रभारों के एक भाग को युक्तियुक्त एवं साम्यिक आधार पर प्रभाजित किया है और ऐसे व्यय लाभ-हानि लेखा में दर्शाये जाते हैं.

In case of IDBI MF Trustee Company Limited, Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 can be borne by the Company. However, during the period under review no such expenses are charged to profit and loss account. IDBI Asset Management Limited has apportioned a part of the Secretarial and other charges attributable to the IDBI MF trustee company Limited on a reasonable and equitable basis and such expenses are charged to the Profit and Loss account.

21 अन्य: / Others:

एजीस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में / In case of Ageas Federal Life Insurance Company Limited,

i) अर्जन लागत: / Acquisition Costs:

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं, जिस अवधि में उपगत होती हैं.

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

ii) प्रदत्त लाभ: / Benefits Paid:

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ का दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है. Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any.

मृत्यु, राइडर आहरण एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण एवं अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.

Death, rider, withdrawals and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due. Withdrawals and Surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

iii) बीमांकिक देयता मूल्यांकनः / Actuarial liability valuation:

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, इरडा विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रूग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर युनिट रिजर्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Law (Amendment) Act, 2015, IRDA regulations & circulars issued from time to time and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

iv) पुनर्बीमा प्रीमियम: / Reinsurance premium:

सत्तातरित पुनर्बीमे की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ संधि अथवा सैद्धान्तिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय की गई है. सत्तातरित पुनर्बीमे पर लाभ या कमीशन को पुनर्बीमा पर सत्तांतरित प्रीमियम में से निवलित किया गया है.

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or inprinciple arrangement with the reinsurer.

v) भावी समायोजन के लिए निधियाँ / Funds for Future Appropriations

प्रतिभागी खंड में भावी समायोजन के लिए बताई गई निधियाँ वह अधिशेष हैं, जिसे तुलन पत्र की तरीखा को पॉलिसीधारकों या अंशधारकों को आबंटित नहीं किया गया हैं. प्रतिभागी पॉलिसीधारक को किया गया कोई भी आबंटन अंशधारकों के लाभ हानि लेखे में अंतरण में अपेक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा.

The funds for future appropriations, in the participating segment, represent the surplus, which is not allocated to policyholders or shareholders as at the Balance Sheet date. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to Shareholders' Profit and Loss Account in the required proportion.

vi) वस्तु व सेवा कर (पूर्ववर्ती 'सेवा कर') / Goods and Services Tax (erstwhile 'Service tax')

जीवन बीमा सेवा पर वस्तु और सेवा कर के दायित्व का निपटान वस्तु एवं सेवाओं की निविष्टियों पर अदा किए गए कर पर उपलब्ध निविष्ट कर जमा (आईटीसी) से किया गया है. अनुपयोगित क्रेडिट, यदि कोई हो तो उसे आगे पृथक किया गया है.

Goods and Services Tax liability on life insurance service is set-off against the input tax credits ('ITC') available from tax paid on input of goods or services. Unutilized credits, if any, are carried forward for set-off.

vi) ऋण / Loans

पॉलिसियों पर ऋण को ऐतिहासिक लागत पर वितरित किया गया है जो कि मूल्यहास के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है. Loans against policies are stated at historical cost, subject to provision for impairment, if any.

viii) आबंटन पद्धति / Allocation methodology

राजस्व और व्यय, संपत्ति और देनदारियां जो सीधे संबंधित खंडों के लिए जिम्मेदार और पहचान योग्य हैं, सीधे संबंधित खंड में आबंटित की जाती हैं. बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय निम्नलिखित तरीके से विशिष्ट व्यवसाय खंडों को आबंटित किए जाते हैं, जिन्हें लगातार आधार पर लागू किया जाता है. Revenues and expenses, assets and liabilities which are directly attributable and identifiable to the respective segments, are directly allocated for in that respective segment. Operating expenses relating to insurance business are allocated to specific business segments in the following manner, which is applied on consistent basis.

- क) खंड के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर आबंटित किए जाते हैं.
- a) Expenses that are directly identifiable to the segment are allocated on actual basis

- ख) अन्य व्यय (मूल्यह्नास और परिशोधन सहित), जो कि किसी व्यवसाय खंड के लिए सीधे पहचान योग्य नहीं हैं, निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर आबंटित किए जाते हैं:
- b) Other expenses (including depreciation and amortization), that are not directly identifiable to a business segment, are allocated on either of the following bases:
 - जारी की गई बीमा पॉलिसियों/प्रमाणपत्रों की संख्या / Number of policies/certificate of insurance issued
 - वार्षिक प्रीमियम समतुल्य / Annual Premium Equivalent
 - नया कारोबार कमीशन / New Business Commission
 - मृत्यु बीमा राशि / Death Sum Assured
 - गणितीय रिजर्व / Mathematical Reserves
 - लागू पॉलिसियों की संख्या / Number of policies in force
 - नवीनीकरण प्रीमियम आय / Renewal Premium income

आबंटन और विभाजन की विधि व्यय की प्रकृति और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ इसके तार्किक सह-संबंध के आधार पर तय की गई है. विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच व्यय का आबंटन और विभाजन बोर्ड के अनुसार है.

The method of allocation and apportionment has been decided based on the nature of the expense and its logical co-relation with various business segments. The allocation and apportionment of expenses amongst various business segments is in accordance with Board approved policy.

कॉरपोरेट विहंगावलोकन Corporate Overview सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18 - समेकित लेखा टिप्पणियाूं SCHEDULE 18 - NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि,पूर्वावधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस-5) NET PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD, PRIOR PERIOD ITEMS AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (AS-5)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन नहीं है. No change in Accounting Policy for the financial year 2020-21.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एएस-10) FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS AS-10)

- i. वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है जिसमें पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन शामिल हैं. पूनर्मूल्यांकन के बाद यथा 1 अप्रैल 2019 को ₹ 7145.28 करोड़ माना गया है. As at the end of the FY 2018-19, the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by independent valuers. Post revaluation, the net block of premises stands at ₹ 7,145.28 Crore as on 1st April, 2019.
- ii. 31 मार्च 2021 को पुनर्मूल्यन रिजर्व में शेष ₹ 6,281.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6,503.37 करोड़) रहा. The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2021 is ₹ 6,281.45 Crore (₹ 6,503.37 Crore for previous year).
- aft के दौरान आवासीय/कार्यालय भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री के कारण निवल ₹ 0.42 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 4.76 करोड़) की हानि हुई जिसे अनुसूची 14 अन्य आय में शामिल किया गया है.
 Loss amounting to ₹ 0.42 Crores (Previous Year: ₹ 4.76 Crores) on account of sale of residential/office buildings during the year is included in Schedule 14 Other Income.

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

क. कर्मचारी लाभ योजना

A. Employee Benefit Schemes

- i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes
- क) वित्त वर्ष 20-21 लाभ-हानि खाते में भविष्य निधि अंशदान के लिए चिन्हित और शामिल राशि
- a) The amount recognized and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account in FY 20-21

		(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
संस्थान Entity	वित्त वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 FY 2019-20
आईडीबीआई बैंक लि / IDBI Bank Ltd	5.55	5.96
एजिस फेडरल लाइफ इन्शुयरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	1.22	2.51
आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.50	0.60
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड IDBI Capital Markets & Securities Limited	0.87	0.96
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.21	0.22
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited	4.19	3.95

- ख) आईडीबीआई बैंक लि के मामले में पेंशन का विकल्प चुनने वाले तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर बैंक के अन्य कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना को ''आरबीआई बैंक कर्मचारियों की न्यासी बोर्ड भविष्य निधि न्यास (न्यास)'' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किए गए और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लिखित निधि में किए गए.
- b) In case of IDBI Bank Limited, the Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of erstwhile IDBI Home Finance Limited (IHFL) and erstwhile IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund.
- ग) 1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक की नयी पेंशन पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में अंशदान करता है. वर्ष के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹ 100.24 करोड़ (₹ 90.99 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.
- c) The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 100.24 Crore (₹ 90.99 Crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.
- घ) एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रुप टर्म बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1.22 करोड़ (₹ 2.51 करोड़) करोड़ की राशि डाली गयी है.
- d) In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd, the amount recognized of ₹ 1.22 Crore for the year ended March 31, 2021 (₹ 2.51 Crore) includes contribution towards Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance & Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.
- (ड) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में कर्मचारी और कंपनी दोनों ही वेतन के निर्दिष्ट औसत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं. कंपनी के उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के दिशानिर्देशों के अधीन नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार ने ईपीएफ़ और ईपीएस दोनों में पूर्ण नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया है. शोष कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण अंशदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है. लाभभोगियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा सूचना दी जा रही है. वर्ष के दौरान कंपनी ने पीएमआरपीवाई के प्रति ₹ 0.11 करोड़ (₹ 0.16 करोड़) का लाभ प्राप्त किया.
- e) In case of IDBI Intech Ltd, both the employees and the Company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. In case of Company's employees enrolled with the Employees Provident Fund Organization (EPFO) having Universal Account Number (UAN), the Government of India has paid the full employer's contribution to both EPF and EPS in respect of new employees under the guidelines of Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRPY). For the remaining employees and the entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government. During the year, the Company has availed the benefit of PMRPY for ₹ 0.11 Crore (₹ 0.16 Crore).

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं

ii. Defined Benefit Schemes

- क) बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.
- a) The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.
 - i बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.
 - ii. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.
- ख. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में समूह की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा से मुक्ति लेते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹ 20,00,000 के अधीन है.

- b) In case of IDBI Capital Markets & Securities Ltd., the group has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 20,00,000.
- ग. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए समूह ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर एकमुश्त राशि दी जाती है. ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.
- c) In case of IDBI Asset Management Ltd., In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company. The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.
- घ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में समूह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करता है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक निर्धारित लाभ है. यह योजना सेवा पूरे किए गए वर्ष के आधार पर या छह माह से अधिक होने पर उसके भाग के रूप में संबन्धित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार के दौरान सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करती है. निहित योजना पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी होने पर लागू होता है.
- d) In case of IDBI Intech Ltd., the group makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provides for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.
- ड. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में समूह ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ-हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं.
- e) In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., The group has created a separate Trust for Gratuity obligations. The application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept. is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Statement of Profit & Loss. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the Company.
- च) चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक धारणाओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. एलआईसी योजना में निधि संचयन और स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा वर्ष के अंत में देयता के रूप में निर्धारित राशि में अंतर को लाभ-हानि विवरण में उपयुक्त रूप से डालकर लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाता है.
- f) On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1 to 3%) in actuarial computations, the Company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined at year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognized and presented as liability in accounts by appropriate charge to Statement of Profit & Loss.
- छ) एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में समूह ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निगमित किया है. कंपनी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है. ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है.
- g) In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd., The group has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of Ageas Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.
- ज) 6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.
- h) The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days basic pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

- झ) कर्मचारियों को उपदान लाभ न्यास द्वारा प्रबंधित एक बीमा नीति और निवेश के माध्यम से प्रदान किया जाता है. बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा जारी की जाती है तथा ऐसी पॉलिसी के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रीमियम को व्यय माना गया है. इससे संबन्धित देयता (निधिक भाग) जीवन निधि का भाग और तदनुरूपी निवेश पॉलिसीधारक का भाग होती है.
- i) Gratuity benefits to employees are provided for through an insurance policy and investments managed by the Trust. The insurance policy is issued by the Company and the premium paid by the Company in respect of such policy has been accounted as an expense. The liability in respect thereof (funded portion) forms part of life fund and corresponding investment as part of policyholder's investments.
- न) कर्मचारियों के लिए संचित बीमारी छुट्टी के संबंध में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति हेतु देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त लाभों के लिए प्रावधान के रूप में राजस्व अथवा लाभ और हानि लेखा में ₹ 0.01 करोड़ (₹ -0.05 करोड़) प्रभारित किए गए.
- j) Liability for compensated absence in respect of accumulated sick leave for employees is determined based on actuarial valuation. During the year amount of ₹ 0.01 Crore (₹ -0.05 Crore) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.
- आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2021 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार है.
- B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognized in the Group's financial statements as at March 31, 2021 which is as per AS-15 (Revised).

(ह करोद में) / (ह in Crore)

				(र कराड़	4) / (₹ in Crore)	
क्र सं. Sr	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	
No		यथा 31 मार्च As at Marc	-		यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	
क) a)	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	2,993.01	944.26	2,343.28	800.32	
	ब्याज लागत / Interest cost	203.23	64.97	182.31	62.11	
	वर्तमान सेवा लागत Current Service cost	36.46	42.41	37.68	37.84	
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-	
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)	-	-		-	
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(168.18)	(67.97)	(216.01)	(81.10)	
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses	207.68	(43.91)		1.48	
	वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(66.50)	(1.06)	294.85	69.80	

क्र सं. Sr	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
No		यथा 31 मार्च As at Marc	-	यथा 31 मार्च As at Marc	
	अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	(15.23)	13.30	350.90	56.24
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	3,190.47	952.00	2,993.01	946.68
ख) b)	योजना आस्तियों में परिवर्तन: Change in plan assets:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2,698.21	891.84	2,435.91	719.99
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	183.21	61.40	189.51	56.01
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	337.66	132.00	274.68	194.18
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other Company	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(168.18)	(67.97)	(216.01)	(81.10)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss)	41.11	(0.18)	14.12	4.53
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	3,092.01	1,017.09	2,698.21	893.61
ग) c)	दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	3,190.47	949.49	2,993.01	946.69
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ उपबंधित की जानेवाली संक्रमणकालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at the end of the year	3,190.47	949.49	2,993.01	946.69

क्र सं. Sr	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
No		यथा 31 मार्च As at Marc		यथा 31 मार्च 2020 को As at March 31, 2020	
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at the end of the year	3,092.01	1,015.60	2,698.21	893.61
	अधिशेष / (कमी) Surplus/ (Deficit)	(98.46)	66.11	(294.80)	(53.08)
घ) d)	वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year				
	सेवा लागत / Service cost	36.46	42.41	37.68	37.84
	ब्याज लागत / Interest cost	203.23	64.46	182.31	62.11
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(183.21)	(60.89)	(189.51)	(55.74)
Net Actuarial सीमा में वृद्धि के व पिछली सेवा लाग Past Servic	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	84.84	(31.49)	631.63	123.00
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमणकालीन देयता Transitional liability recognized during the year		-	-	
	उपरोक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	141.32	14.49	662.11	167.21
	पुनरांकित न की गयी बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability not written back	-	-	-	-
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	-	-	(92.63)	-
	वर्तमान वर्ष में समायोजित निवेशों पर एलआईसी द्वारा ऑफर ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण उपदान निधि मूल्य में वृद्धि Increase in Gratuity Fund Value due to increase in rate of interest offered by LIC on investments adjusted in current year	-	-		-
	वर्ष की निवल लागत	141.32	14.49	569.48	167.21

 क्र सं. Sr	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटो Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
No	i articulars	यथा 31 मा	र्च 2021 को ch 31, 2021	यथा 31 मा	 र्च 2020 को ch 31, 2020
ड़) e)	आस्तियों की श्रेणी Category of Assets				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	-	-	-	-
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	195.84	0.26	196.21	0.59
	कॉरपोरेट बांड Corporate Bonds	976.02	-	861.74	0.19
	विशेष जमा योजना Special Deposits Scheme	39.62	-	-	-
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	1,736.72	1,015.76	1,509.00	889.05
	अन्य / Others	143.81	0.04	131.26	2.91
	कुल / Total	3,092.01	1,016.06	2,698.21	892.75
च) f)	लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं: Assumptions used in accounting:				
	बट्टा दर Discount rate	6.97%	5.45% से 6.96% तक From 5.45 % to 6.96%	6.79%	5.45 % से 7.00% तक From 5.45 % to 7.00%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर Rate of return on plan assets	6.97%	5.00% से 6.96% तक From 5.00% to 6.96%	6.79%	0.07% से 7.10% तक From 0.07% to 7.10%
	वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5.00% से 12% तक From 5 % to 12%	5.75%	5 % से 12% तक From 5 % to 12%
	पलायन दर Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा उसके बाद 3.50% 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% और 4 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए 2.57% 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years

Ξ

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
क्र सं. Sr	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
No			यथा 31 मार्च 2021 को As at March 31, 2021		र्च 2020 को ch 31, 2020
	मृत्यु दर Mortality Rate	भारतीय आश्वसित जीवन मृत्यु दर (2006-08)- रोजगार के दौरान Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult - During employment भारतीय व्यक्ति वार्षिक मृत्यु दर तालिका (2012-15)- रोजगार पश्चात Indian Individual Annuitant's Mortality Table (2012- 15)- After employment	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08) Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.	(2006-2008 Indian Assured	Iत जीवन मृत्यु दर) अंतिम रूप से I Lives Mortality 008) Ult.

अनुभव समायोजन / Experience Adjustments

(i) उपदान योजना / Gratuity Plan

				(₹ करो	ड़ में) / (₹ in Crore)
विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
	950.75	945.57	799.34	720.85	653.17
योजना आस्तियां / Plan assets	1,016.34	892.91	719.39	651.64	572.68
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	65.60	(52.66)	(79.95)	(69.21)	(80.49)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience adjustments on plan liabilities [Gain / (Loss)]	(13.56)	(54.52)	(44.44)	(15.55)	10.63
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	(0.18)	4.55	(0.12)	8.67	3.27

(ii) पेंशन योजना

Pension Plan (ii)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	3,190.47	2,993.01	2,343.28	2,111.79	2,059.32
योजना आस्तियां / Plan assets	3,092.01	2,698.21	2,435.91	2,289.98	2,257.56
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	(98.46)	(294.8)	92.63	178.19	198.24
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	15.23	(350.9)	(180.22)	(42.72)	(76.87)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि) Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	41.11	14.12	57.23	(38.82)	98.10

अन्य दीर्घावधि लाभ ड.

С. Other long term benefits

- क.
- अवधि की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of Leave Encashment obligation at the End of the period a.

	-	(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Limited	545.30	525.22
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Limited	1.02	1.71
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.59	0.44
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited	2.14	2.22
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Limited	3.93	3.29
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Limited	0.76	0.52

ख. वित्तीय वर्ष 20-21 में लाभ-हानि लेखे में प्रभारित छट्टी नकदीकरण

b. Leave Encashment charged to Profit and Loss Account in FY 20-21

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	166.25	134.62	
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.	0.52	1.07	
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.21	0.14	
आईडीबोआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Limited	0.86	0.75	
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.26	0.20	
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	1.48	0	

- ग. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में, बैंक के अधिकारी अधिकतम 240 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.
- c. In case of IDBI Bank Ltd., employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 240 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.
- घ. बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
- d. Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.
- ड़. बैंक के कर्मचारी अपंगता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अपंगता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
- e. Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.
- च. एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी के कर्मचारी अधि कतम 30 दिन की अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित कर सकते हैं जो नीति के अनसार उनके द्वारा सेवा छोडते समय भगतान योग्य/ नकदीकरण योग्य हैं.
- f. In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd, The employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable / encashable as per the policy on their separation.

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित चार कारोबारी खंडों में परिचालन करता है : / The Bank primarily operates in four business segments as under:

<u> </u>			
ट्रेजरी	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और		
Treasury	ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं.		
	Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations,		
	derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.		
खुदरा बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता		
Retail Banking	प्रॉप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम,		
	पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिंट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण		
	और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं.		
	Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented		
	towards individuals & small business including Priority Sector lending. Retail Banking also		
	encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, Internet Banking,		
	Mobile Banking, Credit Cards, Debit Cards, Travel/Currency cards, Third party distribution and		
	Transaction Banking Services.		

कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल न किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.
अन्य बैंकिंग/ समूह परिचालन	इसमें बैंक के अलावा समूह कंपनियों के परिचालन/ कार्यकलाप शामिल हैं.
Other Banking/Group Operations	Includes operations/activities of group companies other than Bank.

करोड़ में) / (₹ in Crore)	(₹	
समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020 Year Ended March 31, 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2021 Year Ended March 31, 2021	विवरण Particulars
		खंड राजस्व Segment Revenue
12,000	10,217	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking
28,906	27,103	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking
754	356	ट्रेजरी / Treasury
284	275	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations
41,942	37,951	कुल / TOTAL
16,457	13,147	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue
25,485	24,804	परिचालनों से निवल बिक्री/ आय Net sales / income from operations
		खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax
(11,329)	(605)	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking
1,767	2,676	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking
575	347	ट्रेजरी / Treasury
103	132	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations
(8,884)	2,550	कुल / TOTAL
-	-	घटाएंः अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income
(8,884)	2,550	कर पूर्व कुल लाभ / (हानि) / Total profit/ (loss) before tax
3,951	1,036	आय कर / Income taxes
(12,835)	1,514	निवल लाभ/ (हानि) / Net profit/ (loss)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore) विवरण समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष कम Particulars सं **31 मार्च 2021 31 मार्च 2020** Year Ended Sr. Year Ended March 31, 2021 March 31, 2020 No ग. खंड आस्तियां Segment assets C. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking 93,382 1,06,263 1,82,584 1,71,633 खुदरा बैंकिंग / Retail Banking 835 175 ट्रेजरी / Treasury 863 854 अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations 20.989 21.774 अविनिधानीत आस्तियां / Unallocated assets 2,98,653 3,00,699 कुल आस्तियां / Total assets खंड देयताएं / Segment liabilities घ. d. 27,719 53,233 कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking 2,38,355 2,17,844 खुदरा बैंकिंग / Retail Banking 945 1,099 टेजरी / Treasury अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations 297 191 अविनिधानीत देयताएं / Unallocated liabilities 2,67,316 2,72,367 कुल देयताएं / Total liabilities पूंजी नियोजन (खंड आस्तियां-खंड देयताएं) ङ) Capital employed e. (Segment assets-Segment liabilities) 65,662 53,030 कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking (55,770)(46, 210)खुदरा बैंकिंग / Retail Banking (110)(924)ट्रेजरी / Treasury 566 663 अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations 21,774 20,989 अविनिधानीत / Unallocated 31,337 28,332 कुल पूंजी / TOTAL

 खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं. The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.

 समूह प्राथमिक रूप से भारत में कारोबार करता है, अतः समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

The group primarily operates in India, hence the group has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

कॉरपोरेट विहंगावलोकन Corporate Overview सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18)

i. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्योरे / Details of Key Management Personnel

<u>क्र</u> .	संस्था का नाम	संबंध
सं.	Name of Entity	Relationship
S. No.		
1.	श्री राकेश शर्मा	
	Shri Rakesh Sharma	Managing Director & CEO
2.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक (20 सितंबर 2019 से)
	Shri Samuel Joseph Jebaraj	Deputy Managing Director (From September 20, 2019)
3.	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक (15 जनवरी 2020 से)
	Shri Suresh Khatanhar	Deputy Managing Director (From January 15, 2020)
4.	श्री अजय शर्मा	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी.
	Shri Ajay Sharma	Executive Director & Chief Financial Officer
5.	श्री पवन अग्रवाल	कंपनी सचिव (15 अप्रैल, 2021 तक)
	Shri Pawan Agrawal	Company Secretary (upto April 15, 2021)
6.	सुश्री ज्योति नायर	कंपनी सचिव (16 अप्रैल 2021 से)
	M̃s. Jyoti Nair	Company Secretary (w.e.f. April 16, 2021)

ii. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेनदेन किए गए

Parties with whom transactions were entered into during the year

लेखा मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में लेनदेनों में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधियों का प्रकटन नहीं किया गया है.

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

iii. वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत पारिश्रमिक

Remuneration Paid To Key Management Personnel During The Year

		(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
	0.36	0.37
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज / Shri Samuel Joseph Jebaraj	0.32	0.18
श्री सुरेश खटनहार / Shri Suresh Khatanhar	0.31	0.07
श्री अजय शर्मा / Shri Ajay Sharma	0.37	0.40
श्री पवन अग्रवाल / Shri Pawan Agrawal	0.36	0.40
श्री के.पी.नायर / Shri K.P. Nair	-	0.27
श्री जी.एम.यादवाडकर / Shri G.M.Yadwadkar	-	0.28
कुल / TOTAL	1.73	1.97

6. पट्टे (एएस-19) / LEASES (AS-19)

- क) पट्टा/ किराये पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य होती हैं.
- a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.
- ख) बैंक द्वारा किए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने का विकल्प होता है.
- b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.
- ग) परिचालनात्मक पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराये को उस वर्ष में जिससे यह संबन्धित है, लाभ-हानि खाते में उल्लेख किया जाता है. वर्ष के दौरान लीज किराया ₹ 375.47 करोड (₹ 347.72 करोड) है.
- c) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the year is ₹ 375.47 Crore (₹ 347.72 Crore).
- घ) तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में सहायक/ संयुक्त उद्यमों के लिए भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार हैः
- d) The future minimum lease payments for subsidiaries/JV in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

		(र कराड़ म) / (र in Crore)
विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	0.56	1.28
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	-	0.63

7. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (हानि) (₹ करोड़ में) Net Profit (Loss) considered for EPS calculation (₹ in Crore)	1,513.97	(12835.24)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1048,55,15,210	889,94,97,497
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1048,55,15,210	889,94,97,497
प्रति शेयर उपार्जन (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	1.44	(14.42)
प्रति शेयर उपार्जन (न्यूनीकृत) (₹) / EPS(Diluted) (₹)	1.44	(14.42)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face Value per Equity share (₹)	10.00	10.00

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियां और आस्थगित देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं: The component of Deferred Tax Asset & Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore) विवरण यथा 31 मार्च 2021 को **31 मार्च 2021 को** यथा 31 मार्च 2020 को Particulars As At As At समाप्त वर्ष के लिए March 2021 March 2020 For the year ended March 31, 2021 आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Asset 0.20 0.10 0.10 अचल आस्तियों पर मल्यह्रास / Depreciation on fixed assets 8,755.23 (1,879.41)10,634.64 अनर्जक आस्तियों तथा अन्य के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनमत नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961 3.86 (1.90)5.76 संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के 190.32 29.72 160.60 अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income Tax Act, 1961 0.27 0.08 0.20 ग्रेच्युटी/ पेंशन / Gratuity/Pension 1.09 0.56 0.52 छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment 491.37 5,648.35 5,156.98 कारोबार हानि / Business Loss 159.89 42.81 117.08 अनवशोषित मल्यहास / Unabsorbed depreciation 14,759.21 (1,316.67)16,075.88 कुल (अ) / TOTAL (A) आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability 2.54 (6.09)8.63 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets 307.71 307.71 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनरक्षित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 0.07 0.07 संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances 310.32 6.02 316.34 कुल (आ) / TOTAL (B) आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (निवल) Deferred Tax Asset /(Liability) (Net) 14,448.90 (1, 310.65)15,759.55 (अ) - (आ) / (A) - (B)

9. कराधान हेतु प्रावधान / Provision for Taxation

(*₹* करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	समाप्त वर्ष के लिए
आय कर / Income Tax	24.94*	21.67

* आईडीबीआई बैंक के मामले में वित्त वर्ष 1998,वित्त वर्ष 1999 तथा वित्त वर्ष 2000 के लिए कुल ₹299.52 करोड़ का आधिक्य प्रावधान आयकर रिफंड वर्ष के दौरान प्रतिलेखित किया

* In case of IDBI Bank, the excess provision for FY 1998, FY 1999 & FY 2000 aggregating to ₹ 299.52 Crores was written back during the year on account of Income tax refund.

10. यथा 31 मार्च 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार अनुषंगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

Summarized financial information of Subsidiary Companies, Associate Companies & Jointly Controlled Entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2021 are as under:

				(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)		
संस्था का नाम Name of the Entity		आस्तियों में से कुल Net Assets i.e	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share on profit or loss	
		समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of Consolidated Profit or Loss_	राशि Amount	
	संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. ent : IDBI Bank Ltd.	97.54%	3,6811.07	89.79%	1,359.46	
अनुष	गंगी संस्थाएं: / Subsidiaries					
भारत	तीय : / Indian :					
1.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.83%	312.76	0.50%	7.51	
2.	आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.	0.24%	90.06	0.80%	12.07	
3.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	0.30%	113.38	0.30%	4.53	
4.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	1.61	0.00%	0.03	
5.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	249.41	2.65%	40.09	
विदेः	शीः / Foreign :	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	

			(₹ करोड़	में) / (₹ in Crore)_	
संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share on profit or loss		
	समेकित निवल	राशि	समेकित लाभ	राशि	
	आस्तियों के %	Amount	या हानि के %	Amount	
	के रूप में		के रूप में		
	As % of		As % of		
	Consolidated Net Assets		Consolidated Profit or Loss		
	0.30%	112.98	1.20%	18.16	
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.0070	112.00	1.2070	10.10	
Minority Interest in all Subsidiaries सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)*					
सहयोगी संस्थाएँ (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)" Associates (Investment as per the equity method) #					
भारतीय / Indian					
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	0.00	
Biotech Consortium India Limited	NA	NA			
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	5.51%	83.46	
National Securities Depository Ltd.	NA	NA			
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	0.00	
North Eastern Development Finance Corporation	ĨNA	ĨNA			
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)	NA	NA	NA	NA	
Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)					
विदेशीः / Foreign :	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures					
(इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार)					
(as per proportionate consolidation/investment as per the equity method)					
भारतीय / Indian		0.50.05			
 एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 	0.69%	259.65	2.19%	33.22	
Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
विदेशी / Foreign	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	NA 100.56%	NA 37,950.91	<u>NA</u> 100.54%	NA 1,522.22	
<u>कुल / TOTAL</u>	(0.56%)	(209.89)	(0.54%)	(8.25)	
विलोपन / Elimination	100.00%	37,741.02	100.00%	1,513.97	
निवल कुल / Net Total		.,		,	

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

चार सहयोगी संस्थाओं अर्थात् नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (26.10%), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (25%), बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) और पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (21.14%) से वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के लिप वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण समेकन नहीं किया गया है, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर इससे उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में उक्त कंपनी में निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

The Financials of Four Associates Viz., National Securities Depository Limited (26.10%), North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%), Biotech Consortium India Limited (27.93%) And Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%) are not considered for Consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for Q4 of FY 2021, impact of which on the Consolidated Financial Statements is not material. In Case of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited, the investment in the said company has been written down to Re 1.

11. परिचालन बंद करना (एएस-24) / DISCONTINUING OPERATIONS (AS-24)

01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान, बैंक ने अपनी शाखाओं में से किसी का भी परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी हो और आस्तियों की प्राप्ति हुई हो और किसी भी परिचालन को पूर्ण रूप से बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसका उपर्युक्त पर प्रभाव पड़ेगा.

During the period from 01.04.2020 to 31.03.2021, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets and no decision has been finalised to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

12. आकस्मिक देयताः / CONTINGENT LIABILITY:

अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण

A. DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES

क्रम. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief Description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपनी बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

iv	स्वीकृतियां, समर्थन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारांटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favor of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customer's credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customer's obligations, either directly or in case the customer fails to fulfill their financial or performance obligations.
v	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off- setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
		बैंक भारतीय कारपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
vi	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.

vii	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income Tax, Interest Tax, Penalty and Interest Demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the Appellate Authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.		
vili	अन्य मर्दे, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable		द में निम्नलिखित शामिल हैं: tem represents the following : सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and	
		편) b)	जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) - जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिजर्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.	

आ. दीर्घावधि संविदाएं

B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमे

C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित हैं वहां पर्याप्त प्रावधान किए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहां आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में,

In case of IDBI Asset Management Ltd.,

i) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2017 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

For the AY 2015-16 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regard.

ii) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आशोधित मूल्य योजित कर प्रणाली (एमवीएटी) कर- निर्धारण में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 0.43 करोड़ की मांग की थी. कंपनी ने इस कर-निर्धारण के विरुद्ध भी अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अभ्यापत्ति के अंतर्गत ₹ 0.15 करोड का तदर्थ भुगतान किया गया है.

In the MVAT assessment for the financial year 2011-12, the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹ 0.43 Crore on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. No provision has been made in this regard. An adhoc payment under protest of ₹ 0.15 Crore had been made during the previous year.

 iii) मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेस (ठेकेदार) का कंपनी के साथ करार किया गया था जिसमें संविदा आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करना था और करार के अनुसार ठेकेदार सभी देयताओं के लिए एकल रूप से जिम्मेदार है. उक्त कंपनी ने वर्ष के दौरान मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों को 0.04 करोड़ का भुगतान किया है जोकि कंपनी के अनुसार वस्तली योग्य है और अतः इसके परिणाम स्वरूप देयता शून्य होगी.

M/s Shree Ram Enterprises (the Contractor) had agreement with the company to provide employees on contract basis and according to agreement the contractor is solely liable for all the liabilities. The company has during the year paid ₹ 0.04 Crore to the employees of M/s Shree Ram Enterprises which according to the company is recoverable and hence the liability will be Nil.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज़ लि. के मामले में / In case of IDBI Capital Market & Securities Ltd.,

i) कंपनी की अन्य आकस्मिक देय मदें-

Other items for which the Company is contingently liable-

 कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 0.14 करोड़ (₹ 0.11 करोड़) है जिसमें 18% की दर से ₹ 0.01 करोड़ (₹ 0.01 करोड़) का ब्याज शामिल है.

Claims against the Company not acknowledged as debt – ₹ 0.14 Crore (₹ 0.11 Crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.01 Crore (₹ 0.01 Crore).

2. क) विवादित आयकर मामले

a) Disputed Income Tax Matters

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित कर Disputed Tax A	
	2020-2021	2019-2020
2012-13	0.25	0.25
2013-14	0.22	0.22

विवादित आयकर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तद्नुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

Disputed Income Tax matters are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the Company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2008-09 के संबंध में आयकर विभाग ने अपीलीय कार्यवाही में कंपनी को अनुमत कुछ व्ययों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. तथापि आगे ले जाई गई हानियों/ एमएटी के अंतर्गत स्वीकार्य कर के कारण कंपनी से कोई कर मांग नहीं की गई. निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) के संबंध में आयकर विभाग ने आईटीएटी आदेश के विस्ड माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. उच्च न्यायालय के समक्ष यह अपील 31 मार्च 2020 तक केवल लॉजमेंट की स्थिति में हैं और कंपनी ने अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. इसी प्रकार से निर्धारण कार्यवाही के दौरान की गई कुछ अस्वीकृतियों के बारे में निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के संबंध में कंपनी अपील करनेवाली है हालांकि विभाग द्वारा कोई मांग नहीं की गई है. प्रबंध को विश्वास है कि अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन अपीलों में उसके पक्ष को बरकरार रखा जाएगा और कंपनी पर कोई देयता नहीं आएगी.

In respect of Assessment Years 2006-07 and 2008-09, the Income Tax Dept. has gone in appeal before High Court pertaining to some of the expenses allowed to the Company in appellate proceedings. However there were no tax demands on the Company due to adjustment of carried forward losses/ admitted tax under MAT. In respect of Assessment Year 2012-13 (Financial Year 2011-12), Dept. has filed an appeal in High Court against the order of ITAT. This appeal before the High Court is in lodgment stage only as on March 31, 2020 and Company has taken necessary steps to defend its position. Similarly Company is in appeal in respect of Assessment Years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 relating to certain disallowances made during the assessment proceedings though there have been no demands raised by the Dept. for the respective assessment years. The management is confident that its position is likely to be upheld in the appeals pending before appellate authorities and no liability could arise on the Company.

ख) विवादित सेवा कर मामले

b) Disputed Service Tax Matters

विभाग द्वारा की गई सेवा कर लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए निष्कर्ष के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिसें जारी किया है

Show cause notices have been raised by the Service Tax Dept. for following financial years based on the finding during the Service Tax Audit conducted by the Department.

(₹	करोड़	में)	/	(₹	in	Crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित सेवा Disputed Service	
	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
2012-13	3.19	1.59
2013-14	1.78	1.74
2014-15	1.87	1.78
2015-16	1.77	1.58
2016-17	0.66	0.33
2017-18	0.12	0.11

कंपनी द्वारा सभी कारण बताओ नोटिसों और वर्ष के दौरान कुल ₹ 9.38 करोड़ में से ₹ 2.24 करोड़ (पिछले वर्षः शून्य) राशि की मांग का प्रतिवाद किया गया है और ये संबन्धित प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं.

All the show cause notices and demand raised during the year amounting to ₹ 2.24 Crore (Previous Year: NIL) out of the total of ₹ 9.38 Crore have been contested by the Company and are pending before the respective authorities.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में, / In case of IDBI Trusteeship Services Ltd.,

0114			(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
विव Par	रण ticulars	2020-21	2019-20
	ो के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावेः ms against the Company not acknowledged as debt :		
i)	कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटको) (कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है)	0.06	0.06
	Income Tax demand for the AY 2007 – 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))		
;;)	गनिशनिक्रमा लेग देगें पर निश्वदेल्टिंग करों के शासाय में निलंज दोने पर निश	रेप्य गतिशतिकरणा आणों ज	नं शाईगीपगणन द्यांके निप

 ii) प्रतिभूतिकरण लेन-देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतिकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on securitization transactions amounting to ₹ 1.61 Crore (approximately) on various Securitization Trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same.

एजिस फेडरल लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लि. के मामले में / In case of Ageas Federal Life Insurance Company Ltd.,

		(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 As At March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 As At March 31, 2020
अंशतः प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	शून्य / Nil	शून्य / Nil
बकाया हामीदारी वचनबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर- विवादों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts by the Company - Claims made by employees for disputes	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given by or on behalf of the Company	0.06	शून्य / Nil
विवादित सांविधिक मांग/ देयताएं, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया* Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for * - आयकर / Income Tax	9.17	17.60
 सेवा कर (कंपनी द्वारा लिए गए कतिपय रुखों पर सेवा कर आयुक्त III का कार्यालय, मुंबई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाबत) Service Tax (on account of objections raised by the Office of the Commissioner of Service Tax III, Mumbai on certain positions taken by the Company) 	3.06	6.91
उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	शून्य / Nil	शून्य / Nil
मुकदमे के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे Policy related claims under litigation	3.66	7.05

* इन मांग/ देयताओं के लिए विभिन्न अधिनिर्णयन स्तर पर प्रतिवाद किए जा रहे हैं और बैंक के विशेषज्ञों सहित उसकी राय है कि ये वहनीय नहीं हैं और तदनुसार प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अनंतिम फैसलों से कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालनगत परिणामों पर कोई भारी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

* These demands/liabilities are being contested at various adjudicating levels and management including its experts is of the view that the same shall not be sustainable and accordingly the management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations.

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, / In case of IDBI Intech Ltd.,

- i. कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 3.77 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. यथा 31 मार्च 2021 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 3.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.95 करोड़) रहीं.
 The Company has provided bank guarantee of ₹ 3.77 Crore to customers for its IT Projects. As at March 31, 2021, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 3.77 Crore (previous year ₹ 3.95 Crore).
- ii. पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के एक पूर्व कर्मचारी को ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) की प्रतिकर राशि अदा करने के जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति कंपनी ने प्रतिवाद किया है और उच्च पीठ में अपील दायर की है और अनुकूल निर्णय की आशा करती है. कंपनी ने अनुमानित सांविधिक बकायों सहित अनुमानित आधार पर प्रावधान किया है. तथापि, उक्त ओबीएसटी वर्टिकल के दूसरे पूर्व-कर्मचारियों को किसी अन्य मुआवजे का भुगतान करने के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

The Company has contested and has appealed at higher bench against an order passed by the Jaipur High Court for a claim to pay compensation amounting to ₹ 0.04 Crore (previous year ₹ 0.04 Crore) to one of the ex-employee of the erstwhile OBST vertical and expects favorable outcome. The Company has made provision on estimated basis including the possible statutory dues. However the outcome to pay any further compensation to other ex-employees of the said OBST vertical cannot be ascertained and hence no separate provision, except the retiring benefits, has been made.

iii. आय पर करों के लिए दावेः / Claims for taxes on income:

जहाँ कंपनी अपील की प्रक्रिया में है: / Where the Company is in appeal:

- क. आय कर प्राधिकारियों की कुछ अस्वीकृतियों से उत्पन्न लेखा वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के संबंध में पूर्ण किए गए निर्धारण के संबंध में आय कर विभाग ने ₹ 0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़) की मांग की है. कंपनी ने उक्त आदेशों खिलाफ अपील दायर की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.
- a. Income Tax demands of ₹ 0.05 Crore (previous year ₹ 0.05 Crore) have been raised in respect of assessment completed with respect to AY 2013-14 and AY 2014-15, arising from certain disallowances by the Income Tax Authorities. The Company has appealed against the orders and based on merit, expects favorable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary.
- ख. सेवा कर प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के संबंध कंपनी द्वारा सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त किए गए कुछ सेनवेट क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए ब्याज तथा दंड सहित ₹ 0.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.84 करोड़) की मांग की है. केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) ने इस मांग को घटाकर ₹ 0.78 करोड़ कर दिया है. कंपनी ने उक्त आदेशों खिलाफ सीईएसटीएटी को अपील की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधन करना आवश्यक नहीं समझा गया है. तथापि कंपनी ने ₹ 0.51 करोड़ सविरोध भुगतान कर दिये हैं जिसे अन्य गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.
- b. Service tax authority put a demand of ₹ 0.84 Crore (previous year ₹ 0.84 Crore) including interest and penalty by disallowing certain CENVAT credit availed by the Company during the Service Tax audit in respect of period from FY 2012-13 to FY 2017-18. This demand was reduced to ₹ 0.78 Crore by Commissioner of Central Tax (Appeal). The Company has appealed to CESTAT against the orders and based on merit, expects favorable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary. However the Company had paid ₹ 0.51 Crore under protest, which is reflected under other non-current assets.
- ग. वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा ₹ 0.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.26 करोड़) की मांग की गई है जिसका प्रतिवाद किया गया है और बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई है. मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.
- c. Demand of VAT made by Sales Tax Authority amounting to ₹ 0.26 Crore (previous year ₹ 0.26 Crore) for the period from FY 2010-11 to FY 2015-16 has been contested and appeal to Deputy Commissioner of Sales Tax. Based on merit, the Company expects a favorable outcome on the same. Hence no provision against such demand is considered necessary.

* मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएं देखें.

* Refer Schedule 12 Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

13. दंड का प्रकटनः / DISCLOSURE ON PENALTY :

वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए: / During the year following penalties were imposed by RBI:

			(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020
1	चेक संग्रहण प्रक्रिया पर दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.0067	0.012
2	ग्राहक सेवा पर दिशा-निर्देशों, सिक्कों छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और कटे-फटे नोटों के विनिमय संबंधी दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.067	0.085
3	करेंसी चेस्टों द्वारा रिजर्व बैंक को किए गए विप्रेषण के मामलों में रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.0094	0.022
4	ऊपर उल्लिखित न किए गए अन्य कारणों से लगाए गए दंड Penalties for other reasons not mentioned above	0.23	0.06
	भुगतान किया गया कुल दंड / Total Penalties Paid	0.31	0.18

14. आरबीआई के कोविड - 19 विनियामक पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान विषयक दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार प्रकटीकरणः

Disclosure as per RBI circular dated April 17, 2020 on Covid-19 Regulatory Package - Asset classification and provisioning:

एसएआरएस-कोवी 2 वायरस के चलते कोविड-19 भारत सहित दुनिया भर में फैलता जा रहा है. इससे वैश्विक और भारतीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट आई है. लॉकडाउन के कार्यान्वयन और इसकी अवधि बढ़ाने से व्यवसाय और आम जीवन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है. मौजूदा हालात को देखने के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसका असर कब तक रहेगा. विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में बैंक के उधारकर्ताओं के सामने प्रमुख चुनौतियां नकदी प्रवाह में कमी होना और कार्यशील पूंजी चक्र का लंबा चलना होगी. बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर अपनी तैयारी कर रहा है. इन घटनाओं और स्थितियों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों के तात्विक रूप से प्रतिकूल अथवा संबंधित आकलन पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है. बैंक के लिए तरलता की स्थिति, ऋण या किसी अन्य प्रतिबद्धता की चुकौती, पूंजी या लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. तथापि बैंक उपरोक्त मापदंडों की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है.

The SARS-CoV2 virus responsible for Covid-19 continues to spread across the globe and India. This has resulted in a significant decline and volatility in global and Indian markets and economic activity. Implementation and extensions of lockdown have resulted in disruptions of business and common life. With situation still unfolding, it is difficult to predict time horizons to gauge the impact. The major identified challenges for the Bank's borrowers across various industry sectors is expected to arise from eroding cash flows and elongated working capital cycles. The Bank is gearing itself on all fronts to meet these challenges. Despite these events and conditions, the Bank's results in future are not expected to be materially adverse or would have an impact on the going concern assumption. The liquidity position, ability to service debt or any other commitments, capital or profitability may not have significant effect for the Bank. However, Bank is constantly monitoring the status of above parameters.

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दिनांक 17 अप्रैल 2020 के आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार दिया गया है: The disclosures as required under RBI circular dated April 17, 2020 for the year ended March 31, 2021 is given below:

		(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां पैराग्राफ 2 और 3 (यथा दिनांक 31 मार्च 2020) की शर्तों में अधिस्थगन/स्थगन बढ़ाया गया था ¹ Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended, in terms of paragraph 2 and 3 (As on March 31, 2020) ¹	4,930.00
(ii)	संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण सुविधाएं दी गई² Respective amount where asset classification benefits is extended²	1,372.99
(iii)	यथा दिनांक 31 मार्च 2021 किए गए प्रावधान ³ Provisions made as on March 31, 2021 ³	363.00
(i∨)	संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान गिरावट के प्रति समायोजित प्रावधान तथा पैरा 6 के संबंध में बकाया प्रावधान Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions in terms of paragraph 6.	शून्य / Nil
(v)	उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 6 के संबंध में 31 मार्च 2021 के अनुसार बकाया प्रावधान Residual provisions as of March 31, 2021 in terms of paragraph 6 of the circular	363.00

- 1. उन उधारकर्ताओं को दर्शाता है जो अतिदेय हैं लेकिन 29 फरवरी 2020 को मानक थे और 31 मार्च 2020 तक अतिदेय के रूप में जारी रहे. Represents borrowers which were overdue but standard at February 29, 2020 and continued to be overdue till March 31, 2020.
- 2. यथा 30 सितंबर 2020 / As on September 30, 2020.
- 31 मार्च 2021 को कोविड-19 संबंधित किए गए कुल प्रावधान : ₹ 863 करोड़ जिसमें से ₹ 363 करोड़ अधिस्थगन के अंतर्गत ऋणों के प्रावधान को दर्शाता है.

Total COVID-19 related provision held at March 31, 2021: ₹ 863 Crores of which ₹ 363 Crores represents provision for loans under moratorium.

15. बैंक के अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

Non-performing Non-SLR investments of the Bank

		((₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1,517.71	1,262.16
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1,303.55	2,123.76
वर्ष के दौरान कटौतियाँ * / Reductions during the year *	837.61	1,868.21
अंतिम शेष / Closing balance	1,983.65	1,517.71
एनपीआई के प्रति कुल प्रावधान	1,941.64	1,223.35
Total provisions held toward NPI		

* इसमें ₹ 19.98 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 1,815.89 करोड़) अवलेखित किए गये और ₹ 697.53 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 2.32 करोड़) के बट्टे खाते में डालना/ बिक्री / निपटान सहित निवेश मोचन और ₹ 120.10 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 50.00 करोड़) के निवेश का उन्नयन शामिल है.

* Includes Investment written down of ₹ 19.98 Crores (Previous Year: ₹ 1,815.89 Crores) and Investment Redemption including write off / Sale / Settlement of ₹ 697.53 Crores (Previous Year: ₹ 2.32 Crores) and Upgradation of Investment of ₹ 120.10 Crores (Previous Year: ₹ 50.00 Crores).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां Schedules to the Consolidated Financial Statements

16. बैंक की आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality of the Bank

अनर्जक आस्ति (ऋण एवं अग्रिम) / Non-Performing Asset (Loans & Advances)

			(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)
क्रम सं. Sr.	विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2021 को Asa t March 31, 2021	यथा 31 मार्च 2020 को Asa t March 31, 2020
No. (i)	निवल एनपीए से निवल अग्निम (%) Net NPAs to Net Advances (%)	1.97	4.19
(ii)	एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव Movement of NPAs (Gross)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	47,272.37	50,027.94
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (b) Addition during the year	2,631.66	11,021.99
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती (c) Reduction during the year	13,692.08	13,777.56
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	36,211.95	47,272.37
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव / Movement of Net NPAs		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	5,439.49	14,837.44
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (एफ़टीएनपीए) (b) Addition (FTNPA) during the year	1,363.80	4,825.34
	 (ग) वर्ष के दौरान कटौती (निवल) (c) Reduction (net) during the year 	4,283.91	14,223.29
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	2,519.38	5,439.49
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	41,832.89	35,190.49
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	6,038.41	20,079.29
	 (ग) प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर में अंतरण (c) Transferred to Countercyclical Prov. Buffer 	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	 (घ) अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन करना (d) Write-off/write back of excess provision 	14,178.73	13,436.89
	(ङ) अंतिम शेष (e) Closing balance	33,692.57	41,832.89
(v)	आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में गणना किये गये कवरेज अनुपात का प्रावधानीकरण (टीडब्ल्यूओ सहित) Provisioning Coverage Ratio (including TWO) computed in accordance with the RBI guidelines	96.90%	93.74%

17. अन्य / OTHERS

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा आबंटित इक्विटी शेयर निम्नानुसार हैं:

During the year Equity Shares were allotted by the Bank as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन का प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)	शेयर प्रोमियम प्रति शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन को तारोख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	-	-	-	-	-	-
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	-	-	-	-	-	-
अन्य Any other	अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) Qualified Institutional Placement (QIP)	1,435.18	371808177	38.60	28.60	19 दिसंबर 2020 December 19, 2020

॥. भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) / Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)

बैंक को भारत सरकार द्वारा स्थापित भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) ट्रस्ट, में वसूली में कमी यदि कोई हो, को सितम्बर 2024 में ट्रस्ट की समाप्ति के समय पूरा करना होगा. तदनुसार, बैंक ने एसएएसएफ़ ट्रस्ट द्वारा वसूलियों में अनुमानित कमी के प्रति 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 800 करोड़ का प्रावधान किया है. यथा दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार कुल प्रावधान ₹ 1,100 करोड़ है.

Bank will be required to meet the shortfall in recovery of Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) Trust set up by the Government of India, if any, at the time of termination of the trust in September 2024. Accordingly, Bank has made provision of ₹ 800 Crore, during the year ended March 31, 2021, towards the estimated shortfall in recoveries by SASF Trust. Total provision held as on March 31, 2021 is ₹ 1,100 Crore.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वे 2006 में भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए भारत सरकार को ₹ 1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करें. तदनुसार, 31 मार्च 2021 को एसएएसएफ़ खाते से बट्टे खाते में डाली गयी कुल प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1064.27 करोड़ है. इस प्रकार से बट्टे खाते में डाली गयी संपूर्ण राशि को पूरा कर लिया गया है. तथापि, विमोचन के लिए भारत सरकार की अधिसूचना विचाराधीन होने के कारण बट्टे खाते में डाली गयी ये प्रतिभूतियां यथा 31.03.2021 को एसजीएल खाते में नहीं दर्शाई गई हैं. जिसके परिणामस्वरूप एसजीएल खाते में समान राशि का अंतर आया है.

The Government of India (Gol), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1,064.27 Crores to the Gol representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) done by the Bank in 2006. Accordingly as on March 31, 2021, total securities written off from SASF account stands at ₹ 1,064.27 Crore. Thus the full written off has been completed. However, these written off securities are not reflected in SGL account as on 31.03.2021 due to pending Government notification for redemption, which resulted in difference of the same amount in SGL account.

III. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय:

Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

- क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशिः ₹ 2.02 करोड़ (पिछले वर्ष ः₹ 1.15 करोड़)
- a. Gross amount required to be spent during the year: ₹ 2.02 Crore (Previous Year: ₹ 1.15 Crore)

- ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशिः
- b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-2020 FY 2019-20
- नकद / In cash	2.02	1.15
नकद भुगतान किया जाना शेष है / Yet to be paid in cash	शून्य / Nil	
कुल / TOTAL	2.02	1.15

M. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं है, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

V. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती-आईडीबीआई) संसद के एक विशेष अधिनियम अर्थात आईडीबीआई अधिनियम 1964 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निगम था. इसे वर्ष 2004 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में गठित आईडीबीआई बैंक के वर्तमान नाम से बैंक में परिवर्तित किया गया था. 1995 में आईपीओ के संबंध में प्रतिदान के लिए देय आवेदन राशि और कंपनी बनाने से पहले पूर्ववर्ती-आईडीबीआई द्वारा घोषित अदावी लाभांश आईडीबीआई बैंक के पास हैं. सचिवीय लेखापरीक्षकों से प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, इस मामले में एमसीए/आईईपीएफ़ प्राधिकारियों से सलाह लेने का सुझाव दिया गया. तदनुसार, आईडीबीआई बैंक ने इस संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए एमसीए/आईईपीएफ़ प्राधिकारियों को पत्र तिया गया. तदनुसार, आईडीबीआई बैंक ने इस संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए एमसीए/आईईपीएफ़ प्राधिकारियों का पत्र

Industrial Development Bank of India (eIDBI) was a Statutory Corporation constituted under a special Act of Parliament, i.e., the IDBI Act, 1964. It was converted into a Bank in the present name of IDBI Bank constituted as a Company under the Companies Act, 1956 in the year 2004. The amount of application money due for refund in respect of IPO in 1995 and unclaimed dividends declared by e-IDBI prior to becoming the Company were lying with IDBI Bank. As per the legal opinion obtained from the Secretarial Auditors, it was suggested to seek advice from MCA/ IEPF Authority in the matter. Accordingly, IDBI Bank had written to MCA/ IEPF Authority to seek advice in this regard.

उसके उत्तर में, आईईपीएफ़ प्राधिकारी ने दिनांक 01 फरवरी 2021 के पत्र द्वारा आईडीबीआई बैंक को निर्देश दिया कि पूर्ववर्ती-आईडीबीआई से संबंधित अदत्त लाभांश को आईईपीएफ़ को अंतरण करें. उपर्युक्त निर्देश के अनुसरण में आईडीबीआई बैंक ने वित्तीय वर्ष 1995-96 से 2002-03 तक के लिए ₹ 7.11 करोड़ की राशि आईईपीएफ़ को अंतरित की है.

In response, IEPF Authority, vide letter dated February 01, 2021 directed IDBI Bank to transfer the unpaid dividends pertaining to e-IDBI to IEPF. Pursuant to aforesaid direction, IDBI Bank transferred the amount of ₹ 7.11 Crore for the financial years 1995-96 to 2002-03 to IEPF.

VI. आरबीआई द्वारा आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ़) के अंतर्गत रखा गया था. कार्यनिष्पादन मानदंडों में सुधार को देखते हुए, आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को 10 मार्च 2021 से पीसीएएफ़ से बाहर कर दिया है.

IDBI Bank had been put under a Prompt Corrective Action Framework (PCAF) by RBI. Considering the improved performance parameters, the RBI has taken out the IDBI Bank from the PCAF with effect from March 10, 2021.

VII. पूँजी खाते (अग्रिमों के निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिनके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं ₹ 146.82 करोड़ (₹ 120.98 करोड़) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 146.82 Crore (₹ 120.98 Crore).

VIII. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटनों को किया जाना आवश्यक हैं. बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने कवरेज के बारे में अपने आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित जानकारी संकलन करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में देय पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

वेतन संशोधन पर उद्योग व्यापी द्विपक्षीय समझौते के लंबित रहने (नवंबर 2017 से देय) को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान इस मद के लिए अनुमानित IX. आधार पर ₹ 294 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 350 करोड़) की राशि का प्रावधान किया है (यथा 31 मार्च 2021 को संचयी प्रावधान की कल राशि ₹ 773 करोड़ थी).

Pending industry wide bipartite settlement on wage revision (due with effect from November 2017), a sum of ₹ 294 Crores (Previous Year: ₹ 350 Crores) has been provided by the Bank during the year on this account on estimated basis. (Cumulative provision held as on March 31, 2021 was ₹ 773 Crore).

- Х. संयुक्त उद्यम एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के मामले में आनृपातिक मुल्यों को हिस्सेदारी के बराबर माना गया है. In case of the joint venture, Ageas Federal Life Insurance Company Limited, proportionate values have been considered equivalent to the stake.
- पिछले वर्ष से संबंधित आंकडे कोष्ठक में दिए गए हैं और उन्हें पुनर्समुहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है, ताकि चालु वर्ष के आंकडों से उनकी तुलना की जा सके. XI. Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped / rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूचि '1' से '18' के लिए हस्ताक्षर Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कते के एस अय्यर एंड कं. For K S Aiyar & Co.

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर Satish Kelkar

साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934) स्थान : मुंबई / Place: Mumbai दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

(जे. सैम्युअल जोसेफ) (J. Samuel Joseph) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530) (सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106) (समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director

(अजय शर्मा) (Aiav Sharma)

कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (डीआईएन/DIN: 01853823) Executive Director & Chief Financial Officer

(ज्योति नायर) (Jvothi Nair) कंपनी सचिव Company Secretary

कृते एम पी चितले एंड कं. For M P Chitale & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W

आशतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

समेकित जकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2021

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2020
अ. A.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities		
	(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि) Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items	2484 73 72	(8896 49 73)
	(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: Adjustments for non cash items:		
	- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	42 02	4 74 25
	- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिजर्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	396 84 73	394 37 92
	- ऋणों / निवेशों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisio	ns 4712 31 24	13698 65 26
	- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	(1 37 24)	(2 90 84)
		7592 94 47	5198 36 86
	(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
	- निवेश / Investments	(1613 19 26)	10096 85 62
	- अग्रिम / Advances	1332 12 91	4895 39 35
	- अन्य आस्तियां / Other Assets	3084 09 79	(2870 94 55)
	- करों की वापसी / (भुगतान) / Refund/ (payment) of taxes	(265 85 37)	(943 88 66)
	(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilitie	s:	
	- उधार राशियां / Borrowings	(20840 80 28)	(8538 86 78)
	- जमा राशियां / Deposits	8492 95 39	(4976 25 54)
	- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5661 17 75	(2652 18 11)
	परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash used in/generated from Operating activities	3443 45 40	208 48 19
आ. B.	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities		
	- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets	(58 65 99)	(295 97 32)
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Investing activities	(58 65 99)	(295 97 32)

समेकित जकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2021

(₹ '000 में / ₹ in '000) **31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2020 को** समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष Year Ended Year Ended March 31, 2021 March 31. 2020 वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह ड. **Cash Flow from Financing activities** C. इक्विटी शेयरों का निर्गम* / Issue of Equity Shares* 1435 19 22 9300 00 00 प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and dividend tax paid (6 83 21) (21 46 60) निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities 1428 36 01 9278 53 40 नकदी और नकदी समतल्य में निवल वृद्धि/(कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS 4813 15 42 9191 04 26 प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य **OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS** 30494 96 50 21303 92 24 अंतिम नकदी और नकदी समतल्य **CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS** 35308 11 92 30494 96 50 नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement: नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतल्य में निम्नलिखित तलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items: भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनसची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6) 13013 12 54 10539 17 27 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सुचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसुची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7) 22294 99 38 19955 79 23 कल / TOTAL 35308 11 92 30494 96 50

* चालू वर्ष की संख्या में शेयर निर्गम व्ययों को घटा दिया गया है.

* Current year number is net of share issue expense

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18) Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)

(डाआ३९५७) १००४४०३७४) हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date कृते के एस अय्यर एंड कं.

For K S Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 100186W

सतीश केलकर Satish Kelkar

साझेदार (स. सं. 038934)/Partner (M.No. 038934) स्थान : मुंबई / Place: Mumbai दिनांक : 03 मई 2021 / Date: May 03, 2021 (जे. सैम्युअल जोसेफ) (J. Samuel Joseph) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईपन/DIN: 02262530) (सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106) (समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director (डीआईएन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा) (Aiav Sharma)

(Hay Sharria) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer (ज्योति नायर) (Jyothi Nair) कंपनी सचिव Company Secretary

सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN : 101851W आश्तोष पेडणेकर

कते एम पी चितले एंड कं.

For M P Chitale & Co.

জান্ত্রণাথ বহুগঞ্জ Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/Partner (M.No. 041037)

(₹ '000 H) / (₹ in '000s)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहयोगी कंपनियों/ सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएँ STATEMENT CONTAINING SAILENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग ''अ'': सहयोगी कंपनियां Part "A": Subsidiaries

				(₹ '0)00 म) / (₹ in '000s)
विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज़ लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	आईडीबोआई ट्रस्टोशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबोआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd
यदि सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि धारिता कंपनी से भिन्न है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period			लागू नहीं Not Applicable		
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.			लागू नहीं Not Applicable		
शेयर पूंजी Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	15 55 15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & surplus	184 66 09	243 37 55	(86 62 41)	1 40 52	74 50 93
कुल आस्तियां Total assets	365 34 18	256 18 63	116 58 21	1 64 15	99 53 65
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा) Total Liabilities (excluding capital and reserves)	52 58 09	6 77 80	3 20 62	3 63	9 47 57
निवेश Investments	116 99 10	146 06 83	105 54 94	1 51 31	-
कुल कारोबार Turnover	93 79 35	73 83 87	31 98 33	36 01	115 06 21

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज़ लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टोशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd
कराधान के पहले लाभ Profit before taxation	10 37 10	54 10 28	7 22 26	4 76	14 61 78
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	2 85 94	14 00 85	2 69 46	1 26	2 54 89
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	7 51 16	40 09 43	4 52 80	3 49	12 06 89
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100%	100.00%

* 33.33% की शेष धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्यिरिटीज लि. द्वारा धारित है * Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market & Securities Ltd.

टिप्पणियां / Notes:

- कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय की रिपोर्ट से है. 1. Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
- 2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरूनहीं किया है: कोई नहीं Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
- सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय किया गया हो: कोई नहीं З. Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''आ'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम Part "B": Associates and Joint Ventures

				(₹	'000 में) / (₹ in '000s)
क्रम सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लि. के स्प में ज्ञात) Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited)
1.	अद्यतन लेखापरोक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	यथा 31 मार्च 2020 March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2020 March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2020 March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2021 March 31, 2021
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end				
	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	150 00 04	1044 00 00	2500 00 02	20000 00 00
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	1 50 00	10 44 00	25 00 00	200 00 00
	धारिता का विस्तार Extend of Holding %	27.93%	26.10%	25.00%	25.00%
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि. में 27.93% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 26.10% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 26.10 %, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक-27 के अनुसार संयुक्त उद्यम माना जाता है/ Holding in Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd. being 25%, considered as a Joint Venture as per AS-27
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण/ Reason why the associate/joint venture is not Consolidated	लागू नहीं/ N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं/ N.A.	लागू नहीं N.A.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s) सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम बायोटेक पूर्वोत्तर विकास वित्त एजिस फेडरल क्रम पर्वोत्तर विकास वित्त Name of Associates/Joint Ventures सं. कंसॉर्शियम डंडिया निगम लि. निगम लि. लाडफ डन्श्योरेंस National Sr. लि. North Eastern कंपनी लि. (पूर्व No. Securities **Development** में आईडीबीआई **Biotech Depository Ltd** Finance Consortium फेडरल लि. के स्त्र Corporation India Limited में जात) Limited Ageas Federal Life Insurance Co. I td. (Formerly known as IDBI Federal Life Insurance Company Limited) 5. 8 19 08 197 63 75 214 88 58 259 65 18 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता स्रोत जन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet 6. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि Profit / Loss for the year ended March 31, 2021 0 83 45 72 0 33 22 22 समेकन में शामिल i. Considered in Consolidation 0 0 0 समेकन में शामिल नहीं i. Not Considered in Consolidation

टिप्पणियां

Notes:

- उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरूनहीं हुआ है: कोई नहीं/ Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None
- उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है: कोई नहीं Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year :None
- नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. का समेकन एएस-23 के अनुसार 30 सितंबर 2020 के अनुसार गैर-लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित है National Securities Depository Ltd has been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited results as at September 30, 2020.
- पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्मेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहायक संस्था में निवेश को बट्टे खाते डालकर एक रुपया कर दिया गया है.

The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. have not been consolidated on account of non receipt of financial statements/annual report. The investment in the Associate is written down to rupee one.

 बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लि., नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड की मालियत अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2020 के अनुसार ली गई है.

The Networth of Biotech Consortium India Limited, National Securities Depository Ltd and North Eastern Development Finance Corporaton Limited taken as per FY 2020 due to non availability of the desired information.

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डींआईएन/DIN: 06846594)

384

কার্যपালক अधिकारी उप प्रबंध निदेशक Chief Executive Officer Dy. Managing Director 594) (डीआईएन/DIN: 02262530)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai दिनांक :03 मई 2021 / Date: May 03, 2021

(जे. सैम्युअल जोसेफ) (सुरेश खटनहार) (J. Samuel Joseph) (Suresh Khatanhar) उप प्रबंध निदेशक उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director ११०६) (डीआईप्टन/DIN: 01853823)

(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer (ज्योति नायर) (Jyothi Nair) कंपनी सचिव Company Secretary